पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–13] रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 अक्टूबर, 2012 ई0 (आश्विन 28, 1934 शक सम्वत्) [संख्या–42

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	599–632	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	1327–1329	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

चिकित्सा अनुभाग–3

अधिसूचना
नियुक्ति

18 सितम्बर, 2012 ई0

संख्या 124(1)/XXVIII–3–2012–74/2007–श्री राज्यपाल महोदय, अधिसूचना संख्या 1134/XXVIII–3–2011–104/2010, दिनांक 08.11.2011 एवं संख्या 1135/XXVIII–3–2011–104/2010, दिनांक 08.11.2011 तथा कार्यालय–ज्ञाप संख्या 1132/XXVIII–3–2011–104/2010, दिनांक 08.11.2011 का अधिक्रमण करते हुये औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 23, वर्ष 1940) की धारा 21 सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10, वर्ष 1897) की धारा–21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 69, 75–क, 85–ख, 90, 122–च, 138 तथा 150–ख के क्रम में उक्त नियमावली के भाग–सात, सात–क, आठ, दस–ख, चौदह तथा पन्द्रह (क) के प्रयोजनार्थ डा0 सुरेश चन्द्र शर्मा, वरिष्ठ औषधि निरीक्षक, जो कि नियमावली के नियम 49–क तथा 50–क में विहित अर्हता रखते हैं, को अग्रिम आदेशों तक के लिये सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य हेतु उनके पद के अतिरिक्त औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं नियंत्रक प्राधिकारी नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

महामहिम राज्यपाल, यह भी घोषणा करते है कि डा0 शर्मा का औषधि अथवा प्रसाधन सामग्री के आयात, विनिर्माण अथवा बिक्री में कोई वित्तीय हित समाहित नहीं है और एतद्द्वारा नियुक्त प्राधिकारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अर्थान्वयन में लोक सेवक समझे जायेंगे।

आज्ञा से,

डा0 रणवीर सिंह,
प्रमुख सचिव।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग

अधिसूचना

25 सितम्बर, 2012 ई0

संख्या 908/XLI–1/2012–52/2005–"सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" (2005 का अधिनियम संख्या–22) की धारा 5(1) एवं धारा 19 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन हेतु निम्नांकित लोक प्राधिकारी इकाई के सम्मुख अंकित सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी को अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

लोक प्राधिकारी इकाई का नाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	विभागीय अपीलीय अधिकारी
प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन	अनुभाग अधिकारी, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन	अनुसचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन	अपर सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन

2. उपर्युक्त नामित किये गये सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में उल्लिखित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के लिए पूर्णरूप से जिम्मेदार होंगे एवं इस कार्य हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ता देय नहीं होगा।

3. इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत समस्त शासनादेश स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।

आज्ञा से,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव।

संख्या 560/XXVI/दो(15)/2011

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

नियोजन अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 26 सितम्बर, 2012

विषय–उत्तराखण्ड लोक निजी सहभागिता (पीपीपी) नीति–2012 का प्रख्यापन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक में यह निर्णीत हुआ है कि उत्तराखण्ड लोक निजी सहभागिता नीति–2012 में संशोधन कर नीति के प्रस्तर–1.5.1 में उल्लिखित क्षेत्रों में पर्यटन को भी सम्मिलित कर लिया गया है।

2. कृपया उक्त संलग्न उत्तराखण्ड लोक निजी सहभागिता नीति–2012 के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3. उक्त विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायें।

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

विज्ञप्ति/विविध

21 सितम्बर, 2012 ई0

संख्या 3012/XXXi (13)/G/2012–निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 (1881 का एक्ट संख्या–26) की धारा 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों का प्रयोग करते हुये, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या 20/5–56–पब–2, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है, के तहत, भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट संख्या ECI/PIN/65/2012, दिनांक 05 सितम्बर, 2012 के अनुसार 01–टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोक सभा के लिए उप निर्वाचन, 2012 हेतु दिनांक 10 अक्टूबर, 2012 (बुधवार) को सम्पन्न होने वाले मतदान हेतु 01–टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जनपद–टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी तथा देहरादून में स्थित समस्त अविरल प्रक्रिया संस्थानों (उद्योगों), समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्धनिकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरों/मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत कारीगरों/मजदूरों हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित मतदान तिथि 10 अक्टूबर, 2012 (बुधवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त तिथि को निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त उप कोषागार तथा कोषागार भी बन्द रहेंगे।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
सचिव।

संख्या 1171/XXIV–3/12/02(01)11

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांक 24 सितम्बर, 2012

विषय–राज्य के पाँच जनपदों उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, ऊधमसिंह नगर एवं बागेश्वर में राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों का निर्माण एवं संचालन लोक निजी सहभागिता (Public Private Partnership Mode) में किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक/रा0गां0न0वि0/18187/2011–12, दिनांक 24 जून, 2011 व पत्रांक/श्या0प्र0मु0अ0वि0/56262, दिनांक 18 अक्टूबर, 2011 एवं पत्रांक/श्या0प्र0मु0अ0वि0/61470, दिनांक 09 नवम्बर, 2011 तथा पत्रांक/श्या0प्र0मु0अ0वि0/64480, दिनांक 26 नवम्बर, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के प्रत्येक जनपद के निर्बल एवं गरीब तथा प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों के पैटर्न पर राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना किये जाने की राज्य सरकार की संकल्पना के दृष्टिगत राज्य में तत्समय 08 राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गयी थी। राज्य के जिन जनपदों में तत्समय राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना नहीं हो पायी थी, उन 05 जनपदों उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, ऊधमसिंह नगर एवं बागेश्वर में इन विद्यालयों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव आवासीय विद्यालय के नाम से संचालित किया गया है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा पूर्ण कराया जा रहा है, किन्तु श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालयों के भवनों का निर्माण नहीं होने से इन विद्यालयों का संचालन अन्यत्र राजकीय विद्यालयों में करना पड़ रहा है। इन 05 विद्यालयों को जिन राजकीय विद्यालयों में संचालित किया जा रहा है उन विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में कक्षा–कक्ष व आवास न होने से कठिनाई उत्पन्न हो रही है। उक्त के अतिरिक्त इन विद्यालयों की मॉनिटरिंग हेतु भी अलग से कोई व्यवस्था वर्तमान में नहीं है। विद्यालयों का आवासीय स्वरूप होने के कारण तथा इनकी आवश्यकताएं, पाठ्यक्रम, शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर गतिविधियां भिन्न होने के फलस्वरूप निदेशालय/मण्डल/जिला स्तर पर इन विद्यालयों के संचालन में कठिनाइयां आ रही हैं। अतः दीवारीखोल बनचोरा (उत्तरकाशी), सुमाडी भरदार (रुद्रप्रयाग), सलियाणा गैरसैण (चमोली), अमसरकोट (बागेश्वर) एवं तुमडिया रेविन्स जसपुर (ऊधमसिंहनगर), श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव आवासीय विद्यालयों का नाम राजीव गांधी नवोदय विद्यालय परिवर्तित करते हुए इन विद्यालयों में इण्टर स्तर पर कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने हेतु इन विद्यालयों को लोक निजी सहभागिता (Public Private Partnership Mode) के अन्तर्गत इन विद्यालयों का निर्माण, संचालन एवं अनुश्रवण सुचारू व सुव्यवस्थित ढंग से निम्नवत् संपादित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(अ) लोक निजी सहभागिता के अन्तर्गत संचालित किये जाने वाले इन विद्यालयों को निम्नवत् चिन्हित किया गया है:–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	स्थान	प्रत्येक विद्यालय हेतु अधिकतम छात्र संख्या	सरकारी छात्रों की कम से कम आरक्षित संख्या
01	उत्तरकाशी	दीवारीखोल बनचोरा	420	210
02	रुद्रप्रयाग	सुमाड़ी भरदार	420	210
03	चमोली	सलियाणा गैरसैण	420	210
04	बागेश्वर	अमसरकोट	420	210
05	ऊधमसिंह नगर	तुमड़िया रेविन्स जसपुर	840	420

उपरोक्त विद्यालयों में से गैरसैंण (चमोली) के विद्यालय हेतु उत्तराखण्ड अवस्थापना विकास एवं निर्माण निगम लि0 को योजना की DPR (Detailed Project Report) बनाये जाने हेतु 30.00 लाख की धनराशि शासन द्वारा पूर्व में स्वीकृत की गयी थी। इस कारण लोक निजी सहभागी को गैरसैंण, चमोली विद्यालय के निर्माण हेतु योजना की कुल लागत के सापेक्ष प्रदान की जाने वाली धनराशि में से 30.00 लाख की धनराशि कम करते हुए इस विद्यालय के लिए धनराशि प्रदान की जायेगी।

(ब) **प्रस्तावित ढाँचा (The Proposed Project Structure)**:

राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों का निर्माण एवं संचालन लोक निजी साझेदार/प्राईवेट पार्टनर द्वारा 30 वर्ष के लिए किया जायेगा, जिसमें 2 वर्ष की अवधि विद्यालयों के भवनों के निर्माण कार्य हेतु तथा 28 वर्ष की अवधि विद्यालयों के संचालन के लिए निर्धारित रहेगी। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली तथा बागेश्वर राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में अधिकतम छात्र/छात्राओं की संख्या 420 होगी तथा ऊधमसिंह नगर के विद्यालय हेतु छात्र/छात्राओं की अधिकतम संख्या 840 होगी। राज्य सरकार द्वारा प्राईवेट पार्टनर को अधिकार/रियायत (Concession) जिसमें भूमि को बंधक पर रखे जाने एवं लीज पर दिये जाने का अधिकार सम्मिलित नहीं है, के तहत निःशुल्क भूमि अनुज्ञा एवं अनुज्ञप्ति (leave and licence) पर उपलब्ध करायी जायेगी परन्तु भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार का ही रहेगा। उक्त 30 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् लोक निजी सहभागी/प्राईवेट पार्टनर द्वारा इन विद्यालयों की भूमि/भवन एवं अन्य परिसम्पत्तियां राज्य सरकार को रियायत अनुबन्ध (Concession Agreement) की संगत धारा के अनुरूप पूर्णरूप से हस्तान्तरित किये जायेंगे। लोक निजी सहभागी द्वारा सी0बी0एस0ई0 मानकों के आधार पर विद्यालय संचालित किये जायेंगे तथा उत्तराखण्ड राज्य के छात्रों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी जिसका स्वरूप निम्नवत् होगाः–

क्र0 सं0	व्योरा	विवरण	
1.	लोक निजी सहभागिता प्रणाली	निर्माण कार्य/संचालन/हस्तान्तरण (BOT)	
2.	अवधि	30 वर्ष	
3.	अधिकार/रियायत (Concession) की प्रकृति	(a) सरकार भूमि अधिकार/रियायत (Concession) के तहत अनुज्ञा एवं अनुज्ञप्ति (leave and licence) पर उपलब्ध करायेगी। (b) प्रति राज्य उपलब्ध कोष की अवभिन्नता। (c) राजस्व बजट प्रति सरकारी प्रायोजित छात्र। (d) वास्तविक मूल्य प्रतिमाह प्रति छात्र खुली निविदा के द्वारा। (e) प्रत्येक 02 वर्षों में 10 प्रतिशत वृद्धि।	
4.	परिषदीय सम्बद्धता	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् (सी0बी0एस0ई0)	
5.	विद्यालय का प्रकार	आवासीय इण्टर स्तर (कक्षा 6 से 12)	
6.	छात्र अनुपात	50 प्रतिशत सरकारी	50 प्रतिशत सरकार द्वारा चयनित/प्रायोजित
		50 प्रतिशत गैर सरकारी	50 प्रतिशत गैर सरकारी साझेदार द्वारा चयनित/प्रायोजित
7.	शुल्क नियम	सरकारी	सरकार द्वारा प्रायोजित विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा
		गैर सरकारी साझेदार	बाजार दर के आधार पर शुल्क ले सकेंगे।

2. **प्राईवेट पार्टनर/साझेदार की भूमिका (Role of PPP Partner)** :

(क) विद्यालयों का निर्माण, डिजाईन, वित्त, विनिर्माण, परिचालन एवं प्रोजेक्ट सुविधाओं का अनुरक्षण करना।

(ख) लोक निजी सहभागी/प्राईवेट पार्टनर द्वारा विद्यालय भवन के विकास हेतु कम से कम जवाहर नवोदय विद्यालयों के मानकों/नियमों के अनुरूप मानकों/नियमों को लागू करने हेतु बाध्य होंगे तथापि प्राईवेट पार्टनर/साझेदार भवन विकास हेतु उच्चतर विशिष्टियों को अपनाने हेतु भी स्वतंत्र होंगे।

(ग) कक्षा 12 तक के विद्यालय की सम्बद्धता सी0बी0एस0ई0 से प्राप्त करना व प्रतिधारण करना।

(घ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद् (एन0सी0टी0ई0) के अनुपालनीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षित योग्यता प्राप्त (अर्ह) प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी नियुक्त करना एवं प्रतिधारण करना। प्राईवेट पार्टनर द्वारा शिक्षकों की तैनाती छात्र–अध्यापक अनुपात (1:30) के आधार पर की जायेगी।

(ङ) सभी विद्यार्थियों के रिकॉर्डस का रख–रखाव, नामांकन तथा प्रत्येक शैक्षिक सत्र में प्रत्येक विद्यार्थी का नामांकन एवं प्रदर्शन स्तर के रिकॉर्ड का रख–रखाव करना होगा।

(च) विद्यालय परिसर के शैक्षिक, आवासीय एवं प्रशासनिक खण्ड को परिचालित एवं अनुरक्षित करना।

(छ) सभी विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तायुक्त आवास एवं भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराना।

(ज) उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा, 95 प्रतिशत सफलता दर से उपलब्ध कराना।

(झ) सभी नियमबद्ध/वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करना।

(ञ) प्रोजेक्ट अवसंरचना के अप्राधिकृत प्रयोग को निषेध करना।

(ट) समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

3. **विद्यालयी शिक्षा विभाग की भूमिका (Role of Department of School Education)** :

(क) निविदा दस्तावेज जारी करना, पारदर्शी निविदा संचालन (बोली) सुनिश्चित करवाना तथा निजी सहभागी साझेदार का चयन करना।

(ख) निजी सहभागी के साथ अनुबन्ध करवाना।

(ग) पूँजी एवं राजस्व अनुदान हेतु बजट में प्रावधान करवाना।

(घ) लेखा परीक्षण एवं अनुश्रवण।

(ङ) अनुबन्ध प्रबन्धन।

(च) जागरूकता।

4. **सरकार द्वारा प्रायोजित विद्यार्थियों को सुविधाएं (Facilities to Government Sponsored Students)** :

निजी सहभागी द्वारा विद्यालय में सुविधाएं उपलब्ध कराना, सरकार द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित निःशुल्क सुविधाओं के साथ उपलब्ध कराना:–

(i) कक्षा 6 से 12वीं तक विद्यालयी शिक्षा निःशुल्क।

(ii) आवास तथा भोजन एवं दैनिक उपयोग की सुविधाएं।

(iii) ग्रीष्म एवं शीतकालीन विद्यालयी गणवेश/वर्दी/यूनिफार्म के दो सैट उपलब्ध कराना।

(iv) पाठ्य–पुस्तकें।

(V) क्रीड़ा, पुस्तकालय, शैक्षिक भ्रमण एवं अन्य सम्बद्ध क्रियाकलापों की सुविधाओं का उपयोग।

5. **मुख्य जोखिम मूल्यांकन (Major Risk Assessment)** :

(क) जोखिम विवरण (Risk Details)–सी0बी0एस0ई0 सम्बद्धता उप नियमों के तहत विद्यालय का किसी भी प्रकार से सम्पत्ति हस्तान्तरण किसी एक समिति/प्रबन्धक ट्रस्ट के द्वारा किसी अन्य समिति/प्रबन्धकीय ट्रस्ट को अनुबन्ध एवं विक्रय प्रपत्र के लिए अनुमन्य नहीं होगी। यदि ऐसा स्पष्टतया या निहितार्थ पाया जाता है तो राज्य सरकार को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से तत्काल प्रभाव से सम्बद्धता समाप्त कराने का अधिकार प्राप्त होगा। यदि सरकार या निजी क्षेत्र के सहभागी के कार्य सम्पादन में (Event of default) की स्थिति अथवा किसी चूक के कारण किसी भी पक्ष द्वारा अनुबन्ध समाप्त किया जाता है तो सी0बी0एस0ई0 सम्बद्धता निरस्त होने की दशा में इस जोखिम को कम करने के लिए अनुबन्ध में

प्राविधान किये गये जो कि निम्न प्रस्तर–ख में उल्लिखित है :–

(ख) जोखिम नियंत्रण (Risk Control) :

(i) निजी सहभागी/साझेदार द्वारा विद्यालय की सी0बी0एस0ई0 सम्बद्धता एक Special Purpose Vehicle (SPV) के नाम पर ली जायेगी।

(ii) विद्यालयी शिक्षा विभाग अहस्तान्तरणीय (Golden Share) अपने पास Special Purpose Vehicle (SPV) के अधिकार स्वरूप रखेगा।

(iii) यदि निजी सहभागी/साझेदार ही अपनी जिम्मेदारी को वापस लेता है तो विद्यालयी शिक्षा विभाग (DOSE) को सभी अधिकार स्वयं ही हस्तान्तरित हो जायेंगे।

(iv) विद्यालयी शिक्षा विभाग समाप्ति पर भुगतान अग्रलिखित बिन्दु संख्याः 6 में उल्लिखित विवरण के अनुसार करेगा।

(v) पर्यावसान के कारण विद्यालय शिक्षा विभाग नवीन गैर सरकारी साझेदार को नए नियमों व दशाओं के अनुरूप प्रतिस्थापित करेगा।

6. **पर्यावसान भुगतान (Termination Payments)** :

(अ) लोक निजी सहभागी की कार्य सम्पादन में चूक के कारण पर्यावसान भुगतान (Termination Payments on account of PPP Partner Event of Default):

1. निम्न का अवमूल्यित निर्धारित लागत का 50 प्रतिशत जैसा कि एक प्रतिष्ठित मूल्यांकनकर्ता विशेषज्ञ के द्वारा निर्धारित :–

(क) वास्तविक सम्पत्ति अथवा अचल सम्पत्ति जिसे प्राधिकरण लेना चाहें।

(ख) चल सम्पत्ति जिसे प्राधिकरण लेना चाहें।

(ग) निजी क्षेत्र/अनुदानग्राही द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अधीन सरकार/विभाग को देय धनराशि घटाकर।

2. वित्तीय अनुबन्ध के अन्तर्गत कुल परियोजना लागत की धनराशि के सापेक्ष में देय कर्ज की राशि।

(ब) विद्यालयी शिक्षा विभाग की कार्य सम्पादन में चूक के कारण–पर्यावसान भुगतान (Termination Payments on account of DOSE Event of Default) :

(क) बकाया ऋण;

(ख) प्रतिष्ठित मूल्याँकनकर्ता के द्वारा निर्धारित विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित निजी क्षेत्र निवेशित धन का उचित बाजार मूल्य (निजी क्षेत्र द्वारा सरकार/विभाग को देय धनराशि घटाकर)।

7. **अनुदान–संरचना (Grant Structure)** :

(1) उत्तराखण्ड अवस्थापना व्यवहार्यता अनुदान योजना (Viability Gap Funding Scheme) :

(क) इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता राशि (व्यवहार्यता अनुदान) को पूंजी अनुदान राशि (Capital Grant) के रूप में निर्माण की अवधि में दिया जायेगा। इस राशि का निर्धारण निविदा में प्राप्त निम्नतम् बोली के आधार पर होगा, जोकि अधिकतम सीमा (योजना के पूंजी व्यय का 50 प्रतिशत पर्वतीय और 33 प्रतिशत मैदानी) तक ही मान्य होगी।

(ख) उत्तराखण्ड अवस्थापना व्यवहार्यता अनुदान योजना के अन्तर्गत प्रति स्कूल व्यवहार्यता अनुदान की सीमा निम्नवत् होगीः–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	स्थान	व्यवहार्यता अनुदान	कुल योजना लागत (रु0 करोड़ में)
01	उत्तरकाशी	दिवारीखोल बनचौरा	50 प्रतिशत योजना लागत	13.35 प्रति योजना
02	रुद्रप्रयाग	सुमाड़ी भरदार	50 प्रतिशत योजना लागत	
03	चमोली	सलियाना गैरसैंण	50 प्रतिशत योजना लागत	
04	बागेश्वर	अमसरकोट	50 प्रतिशत योजना लागत	
05	ऊधमसिंह नगर	तुमड़िया रेविन्स, जसपुर	33 प्रतिशत योजना लागत	20.35 प्रति योजना

व्यवहार्यता अनुदान भुगतान के प्रयोजन हेतु वास्तविक परियोजना की लागत की गणना उत्तराखण्ड व्यवहार्यता अनुदान कोष, 2008 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

(2) परिचालन अनुदान (Operating Grant) :

(i) निविदादाता निविदा में सरकार द्वारा प्रायोजित विद्यार्थियों के लिए प्रति छात्र प्रति वर्ष राशि की निविदा देगा। इस राशि को प्रति दो वर्ष में 10 प्रतिशत से बढ़ाने की व्यवस्था दी जायेगी।

(ii) सरकार द्वारा वास्तविक परिचालन अनुदान त्रैमासिक आधार पर भुगतान किया जायेगा।

(3) धन मूल्य का वास्तविक लाभ (Value for Money) :

(i) योजना को लोक निजी सहभागिता में संचालन करने से सरकार को हुई कुल बचत के वर्तमान मूल्य योजना का धन मूल्य (VfM) होगा।

(ii) यदि राज्य सरकार योजना का निर्माण, अनुरक्षण, संचालन (2 वर्ष निर्माण 28 वर्ष संचालन) स्वयं करती है तो योजना की कुल लागत का वर्तमान मूल्य सार्वजनिक क्षेत्र संतुलक (Public Sector Comparator-PSC) कहलाता है। इसके आधार पर राज्य सरकार को निम्नवत् बचत होगीः—

सार्वजनिक क्षेत्र संतुलक एवं धन मूल्य (PSC and Value-For-Money) :

विवरण		राज्य सरकार द्वारा (पीएससी)	लोक निजी सहभागी द्वारा (पीपीपी)	बचत	राज्य सरकार द्वारा (पीएससी)	लोक निजी सहभागी द्वारा द्वारा (पीपीपी)	बचत
		840 छात्र/छात्रायें			420 छात्र/छात्रायें		
पूंजी							
पूंजी लागत		20.35			13.35		
उत्तराखण्ड अवस्थापना व्यवहार्यता अनुदान योजना			6.71			6.67	
योग		20.35	6.71	13.63	13.35	6.67	6.67
संचालित अनुदान							
संचालन और प्रबन्धन लागत		58.58		58.58	31.88		31.88
संचालन लागत			29.06	—29.06		16.17	—16.17
योग		58.58	29.06	29.52	31.88	16.17	15.71
जोखिम							
योजना की लागत बढ़ने से पुनरीक्षित लागत	10%	2.03		2.03	1.33		1.33
कुल वर्तमान लागत		80.96	35.77	45.19	46.56	22.84	23.72

8. **अन्य शर्तें** :

(i) अनुबन्ध की सयम सीमा 30 वर्षों के बाद Private Partner से अनुबन्ध का पुनः नवीनीकरण करना होगा या सृजित परिसम्पत्तियां स्वतः राज्य सरकार में निहीत हो जायेंगी।

(ii) Viability gap funding के लिए परिव्यय/बजट की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए प्र0वि0 को वार्षिक योजनाओं में इसकी व्यवस्था करनी होगी।

(iii) पूँजीगत एवं राजस्व व्यय निजी पार्टनर द्वारा वहन किया जाना तथा राज्य सरकार की वित्तीय सहभागिता राज्य सरकार द्वारा sponsored छात्रों से सम्बन्धित व्यय की प्रतिपूर्ति तक सीमित रखा जाना होगा।

(iv) गुणवत्त शिक्षा व सुविधाओं की सुनिश्चितता हेतु अनुश्रवण प्रणाली भी विकसित की जानी होगी।

(v) उपर्युक्त के अतिरिक्त पीपीपी के सर्वमान्य मानकों के अनुसार ही एक पारदर्शी एवं प्रत्यक्षदर्शी प्रक्रिया के अनुसार परियोजना आवंटित एवं संचालित की जायेगी।

(vi) अनुबन्ध में मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा प्रतिछात्र शुल्क प्रतिपूर्ति एवं निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जानी है, जबकि प्राईवेट द्वारा भवन निर्माण, अध्यापकों की पूर्ति एवं अन्य आवासीय एवं प्रबन्धकीय व्यवस्थायें की जायेंगी। संस्था द्वारा पी0पी0पी0 मोड के अन्तर्गत BOT Model (Built Operate Transfer) में काम करेंगी।

(vii) सरकार द्वारा प्राईवेट पार्टनर त्रैमासिक आधार पर भुगतान किया जायेगा। भुगतान प्रति छात्र निर्धारित लागत के आधार पर किया जायेगा जिसमें 02 वर्ष में 10 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
मनीषा पंवार,
सचिव।

वित्त अनुभाग–9

अधिसूचना

27 सितम्बर, 2012 ई0

संख्या 505/2012/XXVII(9)/स्टाम्प–42/2008–श्री राज्यपाल महोदय, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 74 तथा 75 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) नियमावली, 2011 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) (संशोधन) नियमावली, 2012

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ–(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) (संशोधन) नियमावली, 2012 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. नियम 20 का संशोधन–उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) नियमावली, 2011 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 20 के शीर्षक सहित उपनियम (1) एवं उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये शीर्षक सहित उपनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
20. केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण बट्टे की धनराशि को कम करके स्टाम्प शुल्क को अगले कार्य दिवस में सरकारी खाता में प्रेषित करेगा–	20. केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण स्टाम्प शुल्क को संग्रहण की तिथि से अगले दो कार्यदिवसों में सरकारी खाता में प्रेषित करेगा–
(1) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण अपने कार्यालयों/शाखाओं और अपने संग्रह केन्द्रों द्वारा संकलित स्टाम्प शुल्क की धनराशि को अनुबन्ध में यथा सुनिश्चित, बट्टे की धनराशि को कम करके स्टाम्प शुल्क के संग्रह के दिन से दो दिन की अवधि के अन्दर, जैसा कि अनुबन्ध में पारस्परिक रूप से सहमत हो, राज्य के कोषागार लेखा	(1) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण अपने कार्यालयों/शाखाओं और अपने संग्रह केन्द्रों द्वारा संकलित स्टाम्प शुल्क की धनराशि को अनुबन्ध में यथा सुनिश्चित, स्टाम्प शुल्क की धनराशि को स्टाम्प शुल्क के संग्रह के दिन से दो दिन की अवधि के अन्दर, जैसा कि अनुबन्ध में पारस्परिक रूप से सहमत हो, राज्य के कोषागार लेखा

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
शीर्षक "0030 स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क–02 स्टाम्प न्यायिकेतर" में प्रेषण के लिए दायी होगा।	शीर्षक "0030 स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क–02 स्टाम्प न्यायिकेतर" में प्रेषण के लिए दायी होगा।
(3) उपनियम (1) के अधीन उल्लिखित धनराशियों का प्रेषण, सम्बन्धित कोषाधिकारी को सूचित करते हुए, भारतीय स्टेट बैंक/एजेन्सी बैंकर के सरकारी व्यापार शाखाओं में नियुक्ति प्रधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप पर हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जायेगा।	(3) उपनियम (1) के अधीन उल्लिखित धनराशियों का प्रेषण, कोषाधिकारी साईबर ट्रेजरी, देहरादून को सूचित करते हुए, भारतीय स्टेट बैंक/एजेन्सी बैंकर के सरकारी व्यापार शाखाओं में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप पर हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जायेगा।

3. प्रारूप–1 का संशोधन–मूल नियमावली के नियम 6 के उपनियम (1) में प्रकल्पित प्रारूप–1 (अनुबन्ध) के स्थान पर निम्नलिखित प्रारूप–1 (संशोधित) रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

प्रारूप–1 (संशोधित)

[देखें नियम–6(1)]

अनुबन्ध

यह अनुबन्ध ..... माह सन् 20..... के ..... वें दिन,

उत्तराखण्ड के राज्यपाल, जिनका प्रतिनिधित्व, प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून है, द्वारा किया गया है (जो, एतद्पश्चात् "राज्य" अथवा "सरकार" जैसी भी स्थिति हो, के रूप में निर्दिष्ट है) ..... प्रथम पक्ष

एवं

(..... केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण का नाम .....), जिनका पंजीकृत कार्यालय ..... एवं शाखा कार्यालय ..... में स्थित है, द्वारा श्री ..... (जिसे एतद्पश्चात् केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण कहा गया है, जिसकी अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी एवं समनुदेशिती व प्रतिनिधि शामिल हैं) ..... द्वितीय पक्ष, के मध्य किया गया है।

"राज्य" अथवा "सरकार" तथा केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण सम्मिलित रूप से "पक्षकारों" एवं उनमें से कोई एक "पक्षकार" विनिर्दिष्ट है।

जबकि, भारत सरकार के पत्र एफ0 संख्या 16–1–2004 CY-1, दिनांक 28 दिसम्बर, 2005 में वर्णित निर्देशानुसार, कम्प्यूटरीकृत स्टाम्प शुल्क प्रशासन प्रणाली के लिए और स्टाम्प शुल्क के संग्रह की इलेक्ट्रॉनिक विधि के यन्त्रीकरण को योजनाबद्ध करने हेतु सम्यक् नीलामी–प्रक्रिया के पश्चात् (..... कम्पनी का नाम.....) का चयन केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण ..... (केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण) के रूप में कार्य करने हेतु किया गया।

और जबकि, भारत सरकार वित्त मन्त्रालय, आर्थिक–कार्य–कलाप–विभाग ने उक्त पत्र में केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण को, ई–स्टाम्पिंग यन्त्रीकरण के माध्यम से संग्रहीत स्टाम्प शुल्क के मूल्य के 0.65 प्रतिशत के संदाय के विरूद्ध राज्यों में विभिन्न सेवाओं के दायित्व को ग्रहण करने के लिए भी अधिकृत किया है।

और जबकि, कथित अधिसूचना के अनुसरण में (..... कम्पनी का नाम .....) ने राज्य में ई–स्टाम्पिंग यन्त्रीकरण के क्रियान्वयन हेतु सरकार से सम्पर्क स्थापित किया है।

और जबकि, राज्य ने ..... (केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण कम्पनी का नाम) ..... को, अनुबन्ध में विनिर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों पर राज्य में, प्रस्तावित सी–एस0डी0ए0एस0 के लिए सरकारी सूचना दिनांक ..... के द्वारा अपना केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण अनुमोदित एवं अधिकृत किया है।

और जबकि, ... (केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण कम्पनी का नाम) ..... एक प्रणाली का विकास करेगी जो ग्राहक/अन्तिम उपयोक्ता द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से स्वयं अथवा राज्य के पूर्वानुमोदन से, प्राधिकृत मध्यवर्तियों, जिन्हें एतद्पश्चात् प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों कहा गया है, के माध्यम से स्टाम्प शुल्क को संदाय करने की अनुज्ञा देगी।

सम्प्रति, एतद्द्वारा, पक्षकारों के मध्य उनके द्वारा निम्नवत् अनुबन्ध किया जाता हैः–

1. ..... (कम्पनी का नाम) ..... की केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्तिः–

1.1. राज्य, एतद्द्वारा निम्नलिखित कार्यों के दायित्व के निर्वहन के लिए अपने अनन्य प्राधिकृत केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में (कम्पनी का नाम) ..... को नियुक्त करता हैः–

(1) आवश्यकता के अनुसार, अवस्थापन, हार्डवेयर और साफ्टवेयर तथा ई–स्टाम्पिंग परियोजना पर इसके प्रयोगों को सुगम बनाने के लिए संयोजन को तैयार करना।

(2) ई–स्टाम्पिंग एवं स्टाम्प शुल्क के संग्रह के लिए अनुमोदित मध्यवर्तियों के चयन को सुगम बनाना।

(3) महानिरीक्षक निबन्धन/स्टाम्प आयुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय, उप महानिरीक्षक, निबन्धन, सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, उप निबन्धकों एवं जिला निबन्धकों तथा अनुमोदित मध्यवर्तियों के कार्यालयों के मध्य समन्वयक के रूप में कार्य करना।

(4) कम्प्यूटर प्रणालियों से धनराशि–संग्रह कराना तथा ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्रों को उत्पन्न करना।

(5) खातों के समाधान के पश्चात् स्टाम्प शुल्क की संग्रहीत धनराशि के प्रेषणों को राज्य के पक्ष में प्रभावी बनाना।

1.2. पक्षकार पारस्परिक सहमति से, नियुक्ति के किसी भी क्षेत्र को उपान्तरित कर सकते हैं या वापस ले सकते हैं अथवा उसमें राज्य की लोक–नीति एवं व्यापार की अत्यावश्यकताओं पर आधारित किन्हीं परिवर्तनों को कर सकते हैं।

2. क्षेत्र–इस अनुबन्ध के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य होगा।

3. अनुमोदित मध्यवर्तियों अर्थात् प्राधिकृत संग्रह–केन्द्रों की नियुक्ति–

3.1. (..... केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम .....) अनुमोदित मध्यवर्तियों की नियुक्ति ऐसी शर्तों पर करेगी जैसा कि (..... केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम .....) द्वारा सरकार के पूर्वानुमोदन से विनिश्चित की जाय।

3.2. अनुमोदित मध्यवर्तियों में से, अनुसूचित बैंक, वित्तीय संस्थान, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म, व्यावसायिक व्यक्ति, डाकखाना, बीमा–विनियमन विकास प्राधिकरण मान्यता प्राप्त बीमा कम्पनी अथवा कोई अन्य व्यक्ति/संस्था, जैसा कि सरकार द्वारा अनुमोदित किये जाय, अधिमानतः (वरीयता से) प्राधिकृत संग्रह केन्द्र हो सकते हैं।

3.3. राज्य में (..... केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम .....) के सभी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार स्टाम्प शुल्क का संग्रह करेंगे, जिसके लिए सरकार से पृथक् अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा।

3.4. ऐसे सभी प्राधिकृत मध्यवर्ती अपेक्षित कम्प्यूटरीकरण, लेजर प्रिन्टर्स, इन्टरनेट–संयोजन तथा ई–स्टाम्पिंग प्रणाली को क्रियान्वित करने के लिए अन्य नियमित अवस्थापन से सुसज्जित होंगे। ऐसे उपकरण को उपलब्ध कराये जाने का व्यय, सम्बन्धित अनुमोदित मध्यवर्तियों द्वारा वहन किया जायेगा।

3.5. ऐसे सभी अनुमोदित मध्यवर्ती, पहचान संख्या एवं गोपनीय पासवर्ड के प्रयोग द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से मुख्य सर्वर से अभिगम स्थापित करेंगे। यह विशिष्ट पहचान संख्या एवं पासवर्ड (..... केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम .....) द्वारा आवंटित किये जायेंगे। इस पासवर्ड को गोपनीय रखा जायेगा तथा गोपनीयता को कायम रखने के लिए इसके आवंटन के पश्चात् शीघ्र परिवर्तित करने के लिए सम्बन्धित अनुमोदित मध्यवर्ती से अपेक्षा की जायेगी।

3.6. अनुमोदित मध्यवर्ती प्रणाली में सूचना एवं विवरणों की प्रविष्टि करेगा तथा विशिष्ट क्रमांक के साथ स्टाम्प–प्रमाण–पत्र को डाउनलोड करेगा जिसे लेख–पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा। स्टाम्प–प्रमाण–पत्र के विवरण ई–स्टाम्पिंग साईट पर उपलब्ध होंगे।

3.7. अनुबन्ध के अन्तर्गत, सेवाओं को उपलब्ध कराने में (..... केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम .....) के परामर्श से राज्य, अनुमोदित मध्यवर्तियों के लिए नियुक्ति एवं अन्य निबंधनों एवं शर्तों से सम्बन्धित नियमों को बना सकता है अथवा दिशा–निर्देशन कर सकता है।

4. शुल्क–

4.1. ..... केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम .....) द्वारा उक्त सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु (..... केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम .....) राज्य से ई–स्टाम्पिंग यन्त्रीकरण के माध्यम से संग्रहीत स्टाम्प शुल्क के मूल्य का 0.65 प्रतिशत कमीशन अथवा ऐसा अन्य प्रतिशत लेने के लिए अधिकृत होगी। हालांकि यदि सेवा प्रदाता कम्पनी पर कोई अतिरिक्त कर या शुल्क अधिरोपित किया जाता है तो राज्य सरकार सेवा प्रदाता कम्पनी के कमीशन को संशोधित करने पर तद्नुसार विचार करेगी।

5. राज्य सरकार को संदाय करने की विधि–

5.1. प्रस्तावित ई–स्टाम्पिंग प्रणाली, संग्रह एवं प्रदत्त स्टाम्प शुल्क का अन्तरण, दोनों को अनुज्ञप्त करेगी।

5.2. उक्त प्रेषणों को, रियल टाइम ग्रॉस सैटिलमेन्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, चालान, बैंक ट्रांसफर अथवा ऐसी अन्य विधि जैसा कि समय–समय पर पक्षकारों द्वारा लिखित रूप में विनिश्चय किया जाय, के माध्यम से सरकार के केवल अभिहित खाता "0030 स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क–02 स्टाम्प न्यायिकेतर" में प्रभावी किया जायेगा।

5.3. (..... केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम .....) उन्हीं धनराशियों को सरकार को संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगी, जो केवल या तो ग्राहक के माध्यम से अथवा अनुमोदित मध्यवर्तियों के माध्यम से स्टाम्पों के डाउनलोड से संग्रहीत हैं। ऐसा संदाय, संग्रह के दिन के पश्चात् दो दिन की अवधि के अन्दर सरकार के अभिहित खाता "0030 स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क–02 स्टाम्प न्यायिकेतर" में किया जायेगा।

6. प्रस्तावित प्रणाली–

6.1. प्रवाह–आरेख एवं मुख्य विशेषताओं, संयोजन–प्रकल्पित प्रणालियों के योजनाबद्ध दृष्टिकोण और अन्तिम उपयोक्ताओं द्वारा अनुसरित प्रक्रियाओं एवं भुगतान के प्रमाण का रूपपत्र, ग्राहक/अन्तिम उपयोक्ताओं को निर्गत किये जाने वाला प्रमाण–पत्र, के सहित, इस नियमावली के अनुरूप तैयार किये जाने वाली प्रस्तावित प्रणाली की विस्तृत संरचना "सेवा–स्तर–अनुबन्ध–पत्र" में दी जायेगी। इस "सेवा–स्तर–अनुबन्ध–पत्र" को (..... केन्द्रीय अभिलेख–अनुरक्षण–अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम .....) द्वारा इन नियमों के प्राविधानों के अनुरूप तैयार किया जायेगा और इस अनुबन्ध–पत्र के निष्पादन के पूर्व सरकार को उसके अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

6.2. राज्य, महानिरीक्षक, निबन्धन/स्टाम्प आयुक्त, उत्तराखण्ड के कार्यालय व उपमहानिरीक्षक, निबन्धन, सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, उपनिबन्धकों एवं जिला निबन्धकों के कार्यालयों अथवा ऐसे अन्य कार्यालयों में हार्डवेयर साफ्टवेयर एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर को उपलब्ध करायेगा, जिसमें प्रिन्टर, व्यक्तिगत कम्प्यूटर, बारकोड स्कैनर व इन्टरनेट संयोजन आदि, जैसा कि (..... केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम .....) द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, शामिल होंगे।

6.3. केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण को ऐसे साफ्टवेयर का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे कि निम्न न्यूनतम विवरण ई–स्टाम्प–प्रमाण–पत्र पर प्रदर्शित हों–

(1) प्रमाण–पत्र का विशिष्ट पहचान संख्या, जिससे कि तन्त्र के अस्तित्व में रहने की अवधि में किसी दूसरे प्रमाण–पत्र में इसकी पुनरावृत्ति न हो;

(2) निर्गम की तिथि एवं समय;

(3) प्रमाण–पत्र के माध्यम से प्रदत्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि शब्दों एवं अंकों में;

(4) ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्र के क्रेता का नाम;

(5) विलेख के पक्षकारों का नाम;

(6) विलेख का विवरण, जिसपर स्टाम्प शुल्क का संदाय किया जाना आशयित है;

(7) सम्पत्ति (यदि कोई हो), जो विलेख की विषय–वस्तु है, का विवरण;

(8) (केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण अथवा अधिकृत संग्रह केन्द्र की निर्गम–शाखा का कोड, अवस्थिति तथा जनपद);

(9) प्रमाण–पत्र का कोई अन्य विशिष्ट प्रतीक, उदाहरणार्थ बारकोड;

(10) हस्ताक्षर तथा निर्गम–अधिकारी की मुद्रा के लिए स्थान;

(11) किसी ई–स्टाम्प–प्रमाण–पत्र के प्रयोग की पुनरावृत्ति को निष्प्रभावी करने के लिए उप निबन्धक को सुविधा की उपलब्धता;

(12) अप्रयुक्त ई–स्टाम्प–प्रमाण–पत्र को निरस्त करने की सुविधा;

(13) किसी ई–स्टाम्प–प्रमाण–पत्र के अन्वेषण एवं परीक्षण करने तथा प्रबन्धक–सूचना तन्त्र पर अभिगम स्थापित करने के लिए विभाग के अभिहित अधिकारियों को पासवर्ड एवं कूटों (codes) को प्रदान करना;

(14) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा अनुरक्षित ई–स्टाम्पिंग साईट पर निर्गत ई–स्टाम्प–प्रमाण–पत्र के विवरणों को उपलब्ध कराया जायेगा;

(15) नियम 57 में यथावर्णित, ई–स्टाम्पिंग से सम्बन्धित विभिन्न संव्यवहार विवरणों को वेब पर उपलब्ध कराया जायेगा।

7. निबन्धन प्रणाली से अनुरूपता–

7.1. उप निबन्धक, कार्यालय तथा महानिरीक्षक, निबन्धन/स्टाम्प आयुक्त, उप महानिरीक्षक, निबन्धन, सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, उपबिन्धक एवं जिला निबन्धक तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, जैसा कि राज्य अधिकृत करे, इण्टरनेट के माध्यम से सेन्ट्रल सर्वर से अभिगम स्थापित करेंगे। ऐसे कार्यालयों द्वारा उचित इण्टरनेट संयोजन स्थापित किया जायेगा।

7.2 राज्य के अधिकृत अधिकारी (जैसा कि ऊपर 7.1 में वर्णित है) ..... (केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम) ..... द्वारा निर्गत यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग करते हुए इण्टरनेट के माध्यम से ई–स्टाम्पिंग साईट से अभिगम स्थापित करेंगे। प्रक्रिया के लॉगिन के पश्चात् ऐसे अधिकृत अधिकारी, ई–स्टाम्पिंग–साईट से अभिगम स्थापित करके स्टाम्पित–प्रमाण–पत्रों को परीक्षण करने में समर्थ होंगे।

7.3 उप निबन्धकों के कार्यालय अथवा ऐसे अन्य अधिकृत अधिकारी, लेख–पत्रों के प्रस्तुतीकरण के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि संव्यवहार के लिए निबन्धित होने वाले लेख–पत्रों पर स्टाम्प शुल्क की निर्धारित धनराशि का संदाय कर दिया गया है। उप निबन्धक, निबन्धन के लिए लेख–पत्रों के प्रस्तुतीकरण पर यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से ई–स्टाम्पिंग साईट में प्रक्रिया प्रारम्भ करके ई–स्टाम्प–प्रमाण–पत्र को लॉक करेगा।

8. हार्डवेयर की आवश्यकता–

8.1. ई–स्टाम्पिंग सर्वर के प्रयोग में उपयोक्ता द्वारा समुचित इण्टरनेट संयोजन के साथ (..... केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम .....) द्वारा विनिर्दिष्ट आवश्यक–संचालन–तन्त्र एवं लेजर प्रिन्टर्स सहित पेन्टियम–4 कम्प्यूटर का प्रयोग किया जाना औचित्य पूर्ण होगा। कम्प्यूटर–सिस्टम का स्वरूप इण्टरनेट संयोजन लेजर–प्रिन्टर्स, बार कोड रीडर्स अथवा कोई अन्य हार्डवेयर के अवस्थापन में (..... केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम .....) के विनिर्देशों की पूर्ति निहित होनी चाहिए और जो बिना अग्रिम सूचना के परिवर्तन के अध्यधीन हो सकती है।

9. सामान्य बाध्यताएं–

9.1. सभी ग्राहकों अथवा अनुमोदित मध्यवर्तियों द्वारा स्टाम्प शुल्कों के लिए किये गये एवं प्राप्त समस्त संदायों को (..... केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम .....) द्वारा प्रतिदिन अंकित किया जायेगा तथा क्रमशः निम्नलिखित एवं ऐसे अन्य रूप में, जैसा कि राज्य एवं (..... ..... केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम .....) के मध्य पारस्परिक सहमति से सुनिश्चित किया जाय, राज्य को सूचित किया जायेगाः–

(1) सम्प्रेक्षा–अन्वेषण रिपोर्ट्स–किसी विनिर्दिष्ट दिन अथवा अवधि से सम्बन्धित केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण एवं प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों की शाखाओं/कार्यालयों के उपयोक्ताओं द्वारा अनुपालित प्रणाली पर आधारित समस्त कार्यवाहियों का पता लगाना;

(2) सरकार को देय से सम्बन्धित रिपोर्ट्स–किसी विनिर्दिष्ट दिन अथवा अवधि से सम्बन्धित केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण एवं प्राधिकृत–संग्रह–केन्द्र की प्रत्येक शाखा/कार्यालय की संग्रह–रिपोर्ट;

(3) अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के प्रमाण–पत्र की रिपोर्ट्स–किसी विनिर्दिष्ट दिन अथवा अवधि से सम्बन्धित केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण एवं प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों की समस्त शाखाओं/कार्यालयों अथवा उनमें से किसी के लिए;

(4) लाक्ड ई–स्टाम्प–प्रमाण–पत्र की रिपोर्ट–किसी विनिर्दिष्ट दिन अथवा अवधि से सम्बन्धित समस्त उप निबन्धकों अथवा उनमें से किसी के सम्बन्ध में;

(5) प्रेषण–रिपोर्ट–किसी विनिर्दिष्ट दिन अथवा अवधि से सम्बन्धित सरकार के खाता में केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा प्रेषित प्रेषणों का जनपदवार विवरण;

(6) निरस्त ई–स्टाम्प–प्रमाण–पत्रों की रिपोर्ट–किसी विशिष्ट या सभी सहायक स्टाम्प आयुक्तों से सम्बन्धित किसी विनिर्दिष्ट दिन या अवधि से सम्बन्धित [नियम 38 के उप नियम (2) में निर्दिष्ट];

(7) प्रमाण–पत्र उत्पादन रिपोर्ट–किसी विनिर्दिष्ट दिन या अवधि के सम्बन्ध में केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण या प्रधिकृत संग्रह केन्द्रों की किसी/सभी संग्रह शाखाओं/कार्यालयों के लिए उत्पादित ई–स्टाम्प–प्रमाण–पत्र की रिपोर्ट;

(8) वार्षिक स्टाम्प शुल्क संग्रह रिपोर्ट–केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण प्राधिकरण और प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों की कोई/सभी संग्रह शाखाओं/कार्यालयों द्वारा संग्रहीत स्टाम्प शुल्क की वार्षिक रिपोर्ट;

(9) स्टाम्प शुल्क सदृश संग्रह रिपोर्ट–जिसमें केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण और प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों की किसी/सभी संग्रह शाखाओं/कार्यालयों के लिए किसी कैलेण्डर वर्ष के लिखत सदृश मासिक स्टाम्प शुल्क संग्रह की श्रेणी प्रदर्शित होगी;

(10) स्टाम्प शुल्क लेखा की रिपोर्ट–केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण और प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों की किसी/सभी शाखाओं/कार्यालयों के लिए किसी कैलेण्डर वर्ष की स्टाम्प शुल्क संग्रह रिपोर्ट;

(11) कोई अन्य ऐसी रिपोर्ट या सूचना जिसकी समय–समय पर स्टाम्प आयुक्त द्वारा अपेक्षा की जाये।

9.2. राज्य सारणियों को बनायेगा तथा प्रदान करेगा जो, स्टाम्प शुल्क का संदाय करने हेतु दायित्वाधीन अनुमोदित मध्यवर्तियों अथवा ग्राहकों को किसी निर्दिष्ट लेख–पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क की उचित धनराशि सुनिश्चित करने में समर्थ बनायेगी और भी, राज्य, अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित लेख–पत्रों के लिए संदाय की जाने वाली स्टाम्प शुल्क की धनराशि से सम्बन्धित आवश्यक सूचना भी, उनके विवरणों के आधार पर प्रदान करेगा। ऐसी प्रदत्त सूचना सरकार द्वारा, निबन्धन अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16, सन् 1908) एवं स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन्1899) वर्तमान नियमों एवं विनियमों तथा समय–समय पर उनमें किये गये संशोधनों तथा ई–स्टाम्पिंग साईट में सरकार के साईट से संयोजन के अनुसार अद्यावधिक की जायेगी। ई–स्टाम्पिंग साईट में उपलब्ध करायी गई ऐसी सूचना ग्राहकों/उपयोक्ताओं के दिशा–निर्देश के लिए होंगी तथा (..... केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम .....) ऐसी सूचना की सत्यता के लिये उत्तरदायी नहीं होगी।

9.3. राज्य, यूजर आईडी एवं पासवर्ड के प्रयोग द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से आँकड़ों पर पुनः अभिगम स्थापित करने में समर्थ होगा।

9.4. (..... केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम .....) इन्टरनेट के माध्यम से ई–स्टाम्पिंग सर्वर पर संकलित आँकड़ों से राज्य को, प्रबन्धन–सूचना–तन्त्र, जैसा कि ऊपर प्रस्तर–9.1 में वर्णित है, से वांछित विवरण/सूचना के संग्रह के लिए समर्थ बनायेगी।

9.5. प्रबन्धन सूचना तन्त्र की अपेक्षा को और भी ठोस रूप दिया जा सकता है तथा पारस्परिक सहमति बनायी जा सकती है। सरकार समय–समय पर ई–स्टाम्पिंग प्रणाली में सूचना को अद्यावधिक करने के लिए मुख्य–सूचियों में किये गये किन्हीं परिवर्तनों को (..... केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम .....) को उपलब्ध करायेगी।

9.6. ई–स्टाम्प–प्रमाण–पत्र की प्रामाणिकता एवं प्रदत्त स्टाम्प शुल्क की पर्याप्तता के सम्बन्ध में परीक्षण करने का उत्तरदायित्व उप निबन्धक/जिला निबन्धक के कार्यालयों एवं ऐसे अन्य अधिकारियों का होगा, जैसा कि राज्य सुनिश्चित करेगा।

10. राज्य के निबन्धक–कार्यालयों में कर्मियों का प्रशिक्षण–

10.1. (..... केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम .....) 'प्रशिक्षक के समान प्रशिक्षित करने' की विधि पर आधारित तन्त्र के संचालन एवं प्रयोग का उपयुक्त एवं पर्याप्त प्रशिक्षण ऐसे सरकारी कर्मियों, जैसा कि सरकार नामित करे, को प्रदान करेगा।

10.2. (..... केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम .....) द्वारा राज्य के परिसरों में प्रदत्त प्रशिक्षण राज्य द्वारा नामित व्यक्तियों के लिए प्रथम बार निःशुल्क होगा, जो 10 तक की संख्या अथवा पारस्परिक रूप से सहमत ऐसे अन्य उससे अधिक संख्या के अधिकारियों के लिए हो सकता है।

10.3 (..... केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम .....) अवधारण बना सकती है कि प्रशिक्षण को प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षु, आवेदन में वांछित कुशलता एवं ज्ञान व पूर्व–अपेक्षाओं को रखते हैं।

10.4. सिस्टम के लिए प्रशिक्षण, जिस स्थान पर दिया जायेगा, उसका विनिश्चय सरकार द्वारा किया जायेगा। (..... केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम .....) अधिकतम एक सप्ताह की अवधि के लिए प्रशिक्षण हेतु एक प्रशिक्षक की व्यवस्था करेगा। संदेह के निवारणार्थ, सरकार समस्त आवश्यक सुविधाओं (प्रथमबार के लिए जैसा कि प्रस्तर 10.2 में वर्णित है, के सिवाय), प्रशिक्षण को कराने के लिए अपेक्षित उपकरण एवं परिसरों तथा यात्रा, निवास स्थान एवं जीवन निर्वाह व्ययों की व्यवस्था करने एवं प्रदान के लिए उत्तरदायी होगी।

10.5 (..... केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम .....) एवं राज्य द्वारा पारस्परिक रूप से विनिश्चत आवधिक अन्तरों में, (..... केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम .....) तन्त्र में किसी उच्चीकरण, परिवर्तनों के विषय में अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान करेगी। (..... केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम .....) राज्य के अनुरोध पर विभिन्न प्रतिभागियों के लिए पुनश्चर्या–पाठ्य–क्रमों की भी व्यवस्था कर सकता है। यह पुनर्प्रख्यापित किया जाता है कि खण्ड–10.4 में यथावर्णित प्रथम–वार के लिए के सिवाय समस्त प्रशिक्षण व्ययों को राज्य द्वारा वहन किया जायेगा।

10.6 (..... केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम .....) द्वारा अनुमोदित मध्यवर्ती अथवा अन्तिम उपयोक्ता को दिये गये प्रशिक्षण पर व्यय की गई धनराशि अनुमोदित मध्यवर्ती पर पृथक् रूप से आरोपित की जायेगी।

11. अवधि–

11.1 यह अनुबन्ध निम्नोल्लिखित प्रभावी दिनांक से प्रारम्भ में 5 वर्ष की अवधि के लिए होगी और उसके पश्चात् पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से इसका नवीनीकरण किया जा सकता है। राज्य, यदि, वैसा समझता है, तो 5 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के पश्चात् ई–स्टाम्पिंग प्रणाली के प्रयोग को स्वीकार करने में स्वतन्त्र होगा और/अथवा पारस्परिक करार पर आधारित (..... केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम .....) की सेवाओं को ग्रिम अवधि के लिए धारण कर सकता है।

11.2 राज्य द्वारा ई–स्टाम्पिंग के प्रयोग को स्वीकार किये जाने पर (..... केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम .....) से नियुक्ति की अवधि में जनित आँकड़ा को राज्य को अन्तरित करने के लिए अपेक्षा की जायेगी। केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण की नियुक्ति की समाप्ति के पश्चात्, पश्चातवर्ती अपने व्यापार अथवा किसी भी प्रयोजन के लिए नियुक्ति की अवधि में जनित ऑकड़ा को किसी भी प्रकार से न तो प्रयोग करेगा अथवा न प्रयोग करायेगा।

11.3. (..... केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम .....) राज्य के बिना लिखित आदेश अथवा प्राधिकार के अपने द्वारा ग्रहीत ई–स्टाम्पिंग परियोजना से सम्बन्धित हार्डवेयर साफ्टवेयर या कोई अन्य तकनीकी विवरणों को यथा विधि नियुक्त प्राधिकृत संग्रह केन्द्र के सिवाय राज्य में किसी भी व्यक्ति को प्रदान, अन्तरण अथवा अंश भागी नहीं करेगा।

12. प्रभावी तिथि–

यह अनुबन्ध पक्षकारों द्वारा उनके हस्ताक्षर की तिथि अथवा ऐसी अन्य तिथि जैसा कि राज्य द्वारा नियत की जाय, से प्रभावी होगा, जो एतत्पश्चात् 'प्रभावी तिथि' कही गई है। पाँच वर्ष की अवधि की गणना प्रभावी तिथि से की जायेगी।

13. अनन्यता–

राज्य के लिए, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में (..... केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम .....) की नियुक्ति अनन्य होगी तथा इस अनुबन्ध की वैधता की अवधि के अन्दर, राज्य, ई–स्टाम्पिंग के लिए किसी दूसरे केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण की नियुक्ति नहीं करेगा।

14. प्राधिकृत संग्रह केन्द्र को परिवर्तित किया जाना–

नियुक्ति की प्रारम्भिक अथवा नवीनीकृत अवधि की समाप्ति के पश्चात्, राज्य, के किसी भाग या सम्पूर्ण भाग के लिए ई–स्टाम्पिंग की सेवाओं/सुविधाओं को अपने पसन्द की किसी भी अभिकरण से प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र होगा तथा (..... केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम .....) को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

15. सरकार का उत्तर दायित्व–

सरकार अपने नियन्त्रणाधीन समयानुसार, समस्त सूचनाओं, कृत–निर्णयों एवं अनुमोदनों तथा उप निबन्धक कार्यालयों में वांछित संसाधनों, जो इस अनुबन्ध के अनुपालनार्थ समय–समय पर युक्ति–युक्त रूप से अपेक्षित हो को प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होगी। सरकार इस तथ्य को स्वीकार करती है कि सरकार द्वारा ऐसी सूचना, कृत निर्णय और अनुमोदनों को प्रदान करने में कोई विलम्ब, इस अनुबन्ध के क्रियान्वयन में विलम्ब कारित कर ससकता है।

16. अपरिहार्य घटनाऐं (Force majeure)–

कोई भी पक्ष अपने दायित्वों के निर्वहन तथा अनुपालन में विलम्ब होने या विफल रहने पर उत्तरदायी अथवा जिम्मेदार नहीं होगा, यदि वह दायित्वों के निर्वहन में निम्न में से किसी कारणवश या सम्बन्धित परिस्थितियों से बाधित हुआ है, लेकिन यह परिस्थितियां इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

1. दैवीय आपदा, आकाशीय बिजली गिरना, बाढ़, तूफान, विस्फोट, आग और कोई प्राकृतिक आपदा;
2. युद्ध, सामाजिक दुश्मनी के कार्य, आतंकवाद, दंगे, गृहयुद्ध;
3. सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी की कार्यवाही जो इस अनुबन्ध के दायित्वों को पूर्ण करने की किसी पार्टी की योग्यता में हस्तक्षेप करती है, जिसमें सरकारी प्रतिनिषेध आज्ञायें, प्रतिषेध अथवा ऐसी अन्य कार्यवाहियां सम्मिलित है;
4. सक्षम न्यायालय को कोई आदेश जो किसी पक्ष को अपने दायित्वों को पूर्ण करने, दायित्वों के निर्वहन करने से अस्थाई या स्थाईरूप से रोकता है;
5. दूसरी अन्य परिस्थितियां जो (..... केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम .....) के नियंत्रण से परे तथा जो इस खण्ड की अनुपस्थिति में इस अनुबन्ध के क्रियान्वयन को नाकाम करती हैं।

यदि अपरिहार्य घटना के कारण किसी भी पक्ष को अनुबन्ध के दायित्वों को पूर्ण करने में विलम्ब होता है या रूकावट आती है तो विलम्बकर्ता पक्ष दूसरे पक्ष को अनिश्चित घटना के निराकरण की एक अनुमानित दिनांक का उल्लेख करते हुए शीघ्र नोटिस जारी करेगा।

अपरिहार्य घटना के कारण अनुबन्ध के तहत दायित्वों को पूर्ण करने में हुए विलम्ब/रूकावट के ऐसे समय तक, दूसरा पक्ष अपने दायित्वों को पूर्ण कराने के कार्य को स्थगित रखेगा, जब तक कि आकस्मिक घटना निराकरण नहीं हो जाती है।

यदि आकस्मिक घटना का निराकरण स्थाईरूप से नहीं होता है अथवा आकस्मिक घटना के कारण विलम्ब 3 माह से अधिक होता है तो किसी भी पक्ष द्वारा इस अनुबन्ध को नोटिस देकर समाप्त कर दिया जायेगा और दोनों पक्ष अपने भावी पारस्परिक दायित्वों से मुक्त हो जायेंगे, सिवाएं इसके कि उनके अन्तिम हिसाब के निपटारे के अधिकार जिनके वे हकदार हैं, संरक्षित करेंगे।

17. माध्यस्थम् (Arbitration)–

17.1. इस अनुबन्ध के अधीन पक्षकारों के मध्य समस्त विवाद एवं मतभेद, जहां तक सम्भव है, सुचारू रूप से निस्तारित किये जायेंगे तथा उसके असफल होने की स्थिति में, समस्त ऐसे विवाद भारतीय माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 26 सन् 1996) के प्राविधानों के अधीन माध्यस्थम् को सन्दर्भित किये जायेंगे।

17.2. माध्यस्थम् का स्थान देहरादून में होगा। साक्षी के रूप में उपस्थित पक्षों ने इस अनुबन्ध–पत्र को, प्रथम इसमें लिखित दिन एवं वर्ष को निष्पादित किया है।

हस्ताक्षरित, मुद्राकित एवं परिदत्त

द्वारा ..... राज्य के राज्यपाल, माध्यम से (द्वारा) श्री .....

उभय पक्षों ने (निम्नलिखित साक्षियों) की उपस्थिति में:–

(1) हस्ताक्षर.....

नाम .....

पदनाम .....

पता .....

(2) हस्ताक्षर.....

नाम .....

पदनाम .....

पता .....

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं परिदत्त

द्वारा अन्तर्नामित (..... केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्त कम्पनी का नाम) ..... द्वारा (माध्यम से) इसके अधिकृत अधिकारी श्री .....

उभय पक्षों ने (निम्नलिखित साक्षियों) की उपस्थिति में–

(1) हस्ताक्षर.....

नाम .....

पदनाम .....

पता .....

(2) हस्ताक्षर.....

नाम .....

पदनाम .....

पता .....

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article, 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **no. 505/2012/XXVII(9)/ Stamp-42/2008**, dated September 27, 2012 for general information :

NOTIFICATION

September 27, 2012

No. 505/2012/XXVII(9)/Stamp-42/2008--In exercise of the powers conferred by section 74 and 75 of the Indian Stamp Act, 1899, the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand stamp (Payment of Duty by means of E-Stamp Certificates) Rules, 2011 to the context of State of Uttarakhand :

THE UTTARAKHAND STAMP (PAYMENT OF DUTY BY MEANS OF E-STAMP CERTIFICATES) (AMENDMENT) RULES, 2012

1. Short title and commencement--(1) These Rules may be called the Uttarakhand Stamp (Payment of Duty by Means of E-Stamp Certificates) (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of Rule 20--In the Uttarakhand Stamp (Payment of Duty by Means of E-Stamp Certificates) Rules, 2011 (hereinafter referred to as principal rules), the existing sub-rule (1) and sub-rule (3) of rule 20 with title as set out in column 1 below, the sub-rule with title as set out in column 2, shall be substituted as follows; namely--

Column 1 *Existing rule*	Column 2 *Rules as hereby substituted*
20. Central Record-keeping Agency to remit the stamp duty, less discount/commission to Government account on next working day--	20. Central Record-keeping Agency to remit the stamp duty to Government Account within two working days after the day of collection--
(1) The Central Record-keeping Agency shall be responsible to remit the consolidated amount of Stamp duty collected by its offices/branches and by its Authorised Collection Centers, less the amount of discount as decided in the Agreement, within two working days after the day of collection of Stamp duty or within such period as may be mutually agreed to in Agreement, in "0030 Stamp and Registration Fees--02 Stamp Non-Judicial" treasury head account of the State.	(1) The Central Record-keeping Agency shall be responsible to remit the consolidated amount of Stamp duty collected by its offices/branches and by its Authorised Collection Centers, within two working days after the day of Collection to Stamp duty or within such period as may be mutually agreed to in Agreement, in "0030 Stamp and Registration Fees--02 Stamp Non-Judicial" treasury head account of the State.
(3) The remittances referred in sub-rule (1) will be made in the Government Business Branch (es) of the State Bank of India/ Agency Banker in the prescribed format as decided by the appointing authority in hard and soft copy under intimation to the concerned Treasury Officer.	(3) The remittances referred in sub-rule (1) will be made in the Government Business Branch (es) of the State Bank of India/ Agency Banker in the prescribed format as decided by the appointing authority in hard and soft copy under intimation to the cyber Treasury Officer, Dehradun.

3. Amendment of Form 1--In the Principal rules for the existing Form-1 (Agreement) envisaged in sub rule (1) of rule 6, the following Form-1 (Amended) shall be substituted.

Form-1 (Amended)

{*See Rule* 6 (1)}

AGREEMENT

THE AGREEMENT is entered on this ..... day of ..... 20 ..... .

BETWEEN

Governor of Uttarakhand represented by the Principal Secretary, Finance, Government of Uttarakhand having office at Secretariat, Dehradun, Uttarakhand (hereinafter referred to as "the State" or as the **"Government"** as the case may be) of the **One Part**.

AND

(..... name of Central Record-keeping Agency) having their Registered office at ..... and branch office at ..... through Shri ..... (hereinafter called "Central Record-keeping Agency" which expression shall include its successors and assigns, representatives) of the **Other Part**.

"The State" or "The Government" and "Central Record-keeping Agency" are together referred to as "the Parties" and either of them as "the Party".

WHEREAS, after due bidding process (..... name of company) was selected to act as Central Record-keeping Agency for the Computerized Stamp duty administration system; and to devise a mechanism of electronic method of collection of Stamp duty in a letter F.No. 16/1/2004 CY-1 Dated 28th December 2005 of Govt. of India.

AND WHEREAS, the Government of India Ministry of Finance, Department of Economic affairs in the said letter also authorized the Central Record-keeping Agency to undertake various services in State against a payment of 0.65% of the value of stamp duty collected through e-stamping mechanism;

AND WHEREAS, pursuant to the said notification (..... name of company) has approached the Government for implementing the e-stamping mechanism in the State.

AND WHEREAS, the State has approved and authorised (..... name of Central Record-keeping Agency/company) to be their Central Record-keeping Agency vide Government intimation dated ..... for the proposed COMPUTERISED STAMP DUTY ADMINISTRATION SYSTEM in the State on the terms and conditions specified in this Agreement.

AND WHEREAS, (..... name of Central Record-keeping Agency/ company) will develop a system which will permit the payment of Stamp duty by the client/ultimate user either on its own through internet or, with prior approval of the State, through Approved Intermediaries hereinafter called Authorised Collection Centers.

NOW IT IS HEREBY AGREED BY AND BETWEEN THE PARTIES AS FOLLOWS :

1. **Appointment of** (..... **name of company) as** Central Record-keeping Agency:—

1.1. The State hereby appoints (..... name of company) as its exclusive authorized Central Record-keeping Agency to undertake the following activities :

(i) Creating need based infrastructure, hardware and software and connectivity for facilitating its operations on the e-stamping project.

(ii) To facilitate selection of Approved Intermediaries for the e-stamping and collection of Stamp duty.

(iii) To act as a co-ordinator between the office of the Inspector General of Registration/ Commissioner of Stamps, Uttarakhand, Offices of the Deputy Inspector General Registration, Assistant Inspector General, Sub-Registrars and District Registrars and Approved Intermediaries.

(iv) Collection of money and generation of E-Stamp Certificates through the computer systems.

(v) Effecting remittances of the collected amount of Stamp duty to the State after reconciliation of Accounts.

1.2. The parties may by mutual consent modify or withdraw any of the scope of appointment or effect any changes therein depending upon the public policy of the State and exigencies of business.

2. **TERRITORY** :

The territory covered under this Agreement will be the entire State **of the Uttarakhand**.

3. **APPOINTMENT OF APPROVED INTERMEDIARIES/ AUTHORISED COLLECTION CENTERS (ACCs) :**

3.1. Appointment of Approved Intermediaries i.e. Authorised Collection Centers :
(..... name of Company appointed as Central Record-keeping Agency) shall appoint Approved Intermediaries on such terms as decided by (.....name of company as Central Record-keeping Agency) with prior approval of the Government.

3.2. Amongst the Approved Intermediaries, the Authorised Collection Centers could preferably be a scheduled bank, financial institution, chartered Accountant firm, **recognized institution** of professional, post office, Insurance Regulatory Development Authority recognized insurance company or any other person (other than individual)/institution as approved by the Government.

3.3. All the offices of (..... name of company appointed as Central Record-keeping Agency) in the State on need base will also do the collection of Stamp duty for which no separate approval will be necessary from the Government.

3.4. All such Approved Intermediaries shall be equipped with the required computers, printers, internet connectivity and other regular infrastructure to implement the e-stamping system. The cost of providing such equipment will be borne by the concerned Approved Intermediaries.

3.5. All such Approved Intermediaries will access the main server through internet by using an User ID and a confidential password. This User ID and Password will be allotted by (..... name of Company appointed as Central Record-keeping Agency). This password shall be kept confidential and the concerned Approved Intermediaries will be required to change it immediately after its allotment to maintain the confidentiality.

3.6. Approved Intermediaries will enter the requisite information and details in the system and download a Stamp Certificate with the Unique Identification Number (UID) which will be attached to the document. The details of the stamp certificate will be available on the e-Stamping Site.

3.7. In providing the services under this Agreement, the State in consultation with (..... name of company appointed as Central Record-keeping Agency) may make rules or issue guidelines regarding the appointment and other terms and conditions for the Approved Intermediaries.

4. **FEES :**

4.1. For the above services to be provided by (..... name of Company appointed as Central Record-keeping Agency), the (..... name of Company appointed as Central Record-keeping Agency) shall be entitled from the State a commission of 0.65% of the value of Stamp duty collected through e-stamping mechanism. However, **Government shall take into consideration to revise the commission, if any additional tax or levy is imposed on the service provider**.

5. **MODE OF PAYMENT TO THE STATE GOVERNMENT :**

5.1. The proposed e-stamping system will allow both collection and transfer of Stamp duty paid.

5.2. The above remittances shall be affected only to the designated Account "0030 Stamp and Registration Fees-02 Stamp Non-Judicial" of the Government through Real Time Gross Settlement Electronic Clearing System, Challan, bank transfer or such other mode as may be decided in writing by the Parties from time to time (..... name of Company appointed as Central Record-keeping Agency) shall be responsible for payment to the Government for the amounts which are only collected towards the download of stamps either through the client or through the Approved Intermediaries. Such payment shall be made to the designated Account "0030 Stamp and Registration Fees-02 Stamp Non-Judicial" of the Government within 2 (two) working days after the day of collection.

6. **PROPOSED SYSTEM :**

6.1 Detailed structure of the proposed system, including flow diagrams and salient features, schematic view of connectivity envisaged, systems and procedures to be followed by end users and format of proof of payment/certificate to be issued to client/ultimate users will be given in the "Service Level Agreement". This "Service Level Agreement" shall be prepared in accordance with the provisions of these rules by the (..... name of company appointed as Central Record-keeping Agency) and shall be submitted, prior to the execution of this Agreement, to the Government for its approval and acceptance.

6.2. The State will make available necessary Hardware and infrastructure at the office of the Inspector General of Registration/Commissioner of Stamps Uttarakhand, Offices of Deputy Inspector General, Assistant Inspector General, Sub-Registrars and District Registrars of such other offices, which would include a printer, personal computer, bar code scanner, internet connection, etc. as specified by (..... name of Company appointed as central Record-keeping Agency).

6.3 The Central Record-keeping Agency will have to use such software that the following minimum details are shown on the e-stamp certificate--

(1) unique Identification number of the Certificate so that it is not repeated on any other certificate during the lifetime of the system;
(2) date and time of issue;
(3) amount of Stamp duty paid through the certificate in words and figures;
(4) name of the purchaser of the e-stamp;
(5) names of the parties to the instrument;
(6) description of the instrument on which the Stamp duty is intended to be paid;
(7) description of the property (if any), which is subject matter of the instrument;
(8) code, location and district of the issuing branch of the Central Record-keeping Agency or Authorised Collection Centre;
(9) any other distinguishing mark of the certificate e.g. bar code;
(10) space for sign and seal of the issuing officer;
(11) availability of facility to the sub-registrar to disable the repeat use of any e-stamp certificate;
(12) facility to cancel unused e-stamp certificate;
(13) provide passwords and codes to the designated officials of the department to search and view any e-stamp certificate and to access Management Information System;
(14) details of the issued e-stamp certificate will be made available on the e-Stamping Site maintained by the Central Record-keeping Agency;
(15) make available the different transaction details relating to e-stamping, as mentioned in rule 57, on the web.

7. **COMPATIBILITY WITH THE REGISTRATION SYSTEM :**

7.1 The Office of the Sub-Registrar and Inspector General of Registration/Commissioner of Stamps, Deputy Inspector General, Assistant Inspector General, Sub-Registrars and District Registrars and such other persons as the State may authorize, will have an access to the Central Server through internet. Proper internet connectivity will be set up by such offices.

7.2 The authorized officers (as mentioned in 7.1 above) of the State will have access to the e-stamping site through internet using user id and password issued by (..... name of company appointed as Central Record-keeping Agency). After login, such authorized officers wil be able to view the e-stamp certificates by accessing the e-Stamping Site.

7.3 The offices of the Sub-Registrar or such other authorized officers, prior to registration of documents shall ensure that the prescribed amount of Stamp duty on the documents has been paid for the transaction to be registered prior to presentation of documents. The Sub-Registrar by logging into the e-stamps server through user Id and password shall lock the e-stamp certificate on the presentation of documents for registration.

8. **HARD WARE REQUIREMENTS :**

8.1. The use of e-Stamping Server will warrant the use of Pentium IV computer with requisite operating system and laser printers specified by (..... name of company appointed as Central Record-keeping Agency) with proper internet connectivity by the user. The configuration of the computer systems, internet connectivity, laser printers, barcode readers or any other Hardware infrastructure should meet the specifications of (..... name of company appointed as Central Record-keeping Agency) and which may be subject to change without any advance intimation.

9. **GENERAL OBLIGATIONS :**

9.1 All payments for stamp duties made and received from all clients and/or Approved Intermediaries shall be recorded on a day-to-day basis by (..... name of company appointed as Central Record-keeping Agency) and in turn reported to the State in following and such other form as may be determined in mutual consultation between the State and (..... name of company appointed as Central Record-keeping Agency)--

(i) **Audit trail report :** tracking of all system based actions performed by users of collecting branches/ offices of the Central Record-keeping Agency and the Authorised Collection Centers pertaining to any specified day or period.

(ii) **Government payable reports : Authorised Collection Center (including collecting branches of Central Record-keeping Agency)** total collection report of any specified day or period.

(iii) **Additional Stamp duty certificate reports :** for all or any of the collecting branches/offices of the Central Record-keeping Agency and Authorised Collection Centers pertaining to any specified day or period.

(iv) **Locked e-stamp certificate report :** relating to all or any of the sub-registrars pertaining to any spcified day or period.

(v) **Remittance reports :** A district-wise detail of the remittances made by the Central Record-keeping Agency into the Government Account pertaining to any specified day or period.

(vi) **Report of cancelled e-stamp certificates :** pertaining to any specified day or period relating to any particular or all the Assistant Commissioner (s) of Stamps [refer to sub rule (2) of rule 38].

(vii) **Certificate Generation Report :** Reports of e-stamp certificates generated for any/all collecting branches/offices of the Central Record-keeping Agency and the Authorised Collection Centers pertaining to any specified day or period.

(viii) **Yearly Stamp Duty Collection Report :** Yearly report of stamp duty collected by any/ all of the collecting branches/offices of the Central Record-keeping Agency and the Authorised Collection Centers.

(ix) **Stamp Duty Type Collection Report :** showing category of instrument-wise monthly stamp duty collections of any calendar year for any/all collecting branches/offices of the Central Record-keeping Agency and the Authorised Collection Centers.

(x) **Stamp Duty Report by Account : Stamp duty monthly collection report of any calendar year for** any/all of the collecting branches/offices of the Central Record-keeping Agency and the Authorised Collection Centers.

(xi) Any other report or information as may be required by the Commissioner of Stamps from time to time.

9.2 The State shall set up and provide tables that will enable the Approved Intermediaries or the client who is liable to pay Stamp duty to ascertain the exact amount of Stamp duty that is payable on a particular instrument. Further, the State will also provide the necessary information with respect to the amount of the Stamp duty to be paid for the documents pertaining to immovable properties on the basis of their details. Such information provided will be updated by the Government as per the Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908) and the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) the current rules and regulations and amendments carried out to them from time to time and a link from the Government's site to e-Stamping Site. Such information provided on e-Stamping Site will be for the guidance of clients/users and (..... name of company appointed as Central Record-keeping Agency) will not be responsible for correctness of such information.

9.3 The State will be able to re-access the data through internet by using user id and password.

9.4 (..... name of company appointed as Central Record-keeping Agency) shall enable State to extract the Management Information System as provided in para 9.1 above from the data captured on the e-stamping site *via* internet.

9.5 The requirement of the Management Information System may be further crystallized and mutually agreed. The Government will provide any changes to the master lists to (..... name of company appointed as Central Record-keeping Agency) for updation of the information in e-stamping system from time to time.

9.6 It will be the responsibility of the office of the Sub-Registrar/District Registrar and such other officers as the State shall decide to check about the authenticity of the e-stamp certificate and adequacy of the Stamp duty paid.

10. **TRAINING OF THE PERSONNEL AT THE REGISTRAR'S OFFICES AND OF THE STATE :**

10.1 (..... name of company appointed as Central Record-keeping Agency) shall provide suitable and adequate training, to such of the Government personnel as the Government may nominate, on a train-the-trainer mode, on the operation and the use of the system.

10.2 The training provided at the premises of the State by (..... name of company appointed as Central Record-keeping Agency) will be free of cost for the first time to the candidates suggested by the State, which may be upto to 10 or such other mutually agreed greater number of officials.

10.3 (..... name of company appointed as Central Record-keeping Agency) may assume that the trainees have the required skills and knowledge pre-requisites to follow the training on the Application.

10.4 The training for the system shall be conducted at the place be decided by the State. (..... name of company appointed as Central Record-keeping Agency) shall provide one trainer to conduct the training over a maximum period of one (1) week. For the avoidance of doubt, the Government shall be responsible for arranging and providing all the necessary facilities (except for the first time as described in Para 10.2), equipment and premises required for conducting the training and the travel, accommodation and subsistence expenses for training.

10.5 At periodic intervals to be mutually decided by (..... name of company appointed as Central Record-keeping Agency) and the State (..... name of company appointed as Central Record-keeping Agency) shall provide additional training on any up-gradation, modification to the system. (..... name of company appointed as Central Record-keeping Agency) may also provide refreshers courses to the various participants at the request of the State, It is reiterated that all training expenses shall be borne by the State, except for the first time as mentioned in clause 10.4.

10.6 Any training to the Approved Intermediary or end user shall be charged separately to the Approved Intermediary by (..... name of company appointed as Central Record-keeping Agency).

11. **TERM :**

11.1 This Agreement shall be initially for a period of 5 years from the effective date referred below and thereafter it may be renewed in mutual consultation between the parties. The State will be at liberty to take over the operation of the e-stamping system after the initial period of 5 years if they so choose and/ or may retain the services of (..... name of company appointed as Central Record-keeping Agency) for a further period based on mutual agreement.

11.2 On the takeover of the operation of e-stamping by the State, (..... name of company appointed as Central Record-keeping Agency) will be required to transfer the data generated during the period of appointment to the Government. After the termination of the appointment of the Central Record-keeping Agency, the later shall not in any way use or cause to be used the data generated during the period of appointment for its business or any purpose whatsoever.

11.3 (..... name of company appointed as Central Record-keeping Agency) will not provide, transfer or share any Hardware, Software or any other technical details with respect to the e-stamping project undertaken by it in the State to anybody, except the duly appointed Authorised Collection Centre, without written permission or authority of the State.

12. **EFFECTIVE DATE :**

This agreement shall be effective from the date of its signing by the parties or such other date as fixed by the State, hereinafter called the 'effective date'. The period of five years shall be calculated from the effective date.

13. **EXCLUSIVITY :**

The appointment of (..... name of company appointed as Central Record-keeping Agency) as the Central Record-keeping Agency for the State shall be exclusive and State will not appoint any other Central Record-keeping Agency for e-stamping during the period of validity of this agreement.

14. **CHANGE OF CENTRAL RECORD KEEPING AGENCY :**

After the expiry of the initial or renewed term of appointment, the State will be at liberty to avail the services/ facilities of e-stamping for part or whole of the State from any agency of its choice and the (..... name of company appointed as Central Record-keeping Agency) shall have no objection for such appointment.

15. **THE GOVERNMENT RESPONSIBILITY :**

The Government shall be responsible for providing on timely basis all information, decision making and approvals under its control and resources required at offices of Sub-Registrar which may be reasonably required from time to time for the performance of this agreement. The Government acknowledges that any delay by the Government to provide such information, decision-making and approvals may result in delays in implementing this agreement.

16. **FORCE MAJEURE :**

Neither party shall be liable or responsible for failure or delay in the observance or performance of its obligation, hereunder if it is prevented from discharging its obligations due to any cause arising out of or related to circumstances which shall include but no be limited to :

(i) Acts of God, lightening strikes, floods, storms, explosions, fires and any natural disaster;

(ii) Acts of war, acts of public enemies, terrorism, riots, civil commotion;

(iii) Actions on the part of a Government or other authority which interfere: with a party's ability to meet its obligations under this agreements including embargoes, prohibitions or similar actions;

(iv) Any order from a competent court either temporarily or permanently preventing either party form performing its obligations/discharging its responsibilities;

(v) Any other circumstances beyond the control of (..... name of company appointed as Central Record-keeping Agency) and which in the absence of this clause, will operate to frustrate this agreement.

If by reason of force majeure either party is delayed or prevented form complying with its obligations under this agreement the delayed party shall immediately give notice to the other party with an estimate date by which the contingency will be removed.

To the extent that the delayed party is or has been delayed or prevented by force majeure from complying with its obligations under this agreement, the other party shall suspend the performance of its obligations until the contingency removed.

If the contingency can not be removed permanently or if a contingency results in delay extending beyond 3 months this agreement upon notice by either party shall be terminated and the parties shall be relived of their future contractual obligations, except to the rights to which they may be entitled to a settlement and final accounting.

17. **ARBITRATION :**

17.1. All disputes and differences between the parties under this agreement shall as far as possible, be settled amicably and falling that all such disputes shall be referred to arbitration under the provisions of the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996 (Act no. 26 of 1996).

17.2. The venue of arbitration shall be at Dehradun.

IN WITNESS WHEREOF the Parties have executed this Agreement on the day and year first hereinabove written.

SIGNED, SEALED AND DELIVERED

By the Governor of the State of.....

.....through the .....

Both in the presence of :

(i) **Signature**

Name .....

Official designation .....

Address .....

(ii) **Signature**

Name .....

Official designation .....

Address .....

SIGNED, SEALED AND DELIVERED

by the within named (...name of the

company appointed as Central Record-keeping Agency) by

Shri .....

its authorised offficial.

Both in the presence of :

(i) Signature

Name .....

Official designation .....

Address .....

(ii) Signature

Name .....

Official designation .....

Address .....

By Order,

RADHA RATURI,

Secretary.

परिवहन अनुभाग–1

अधिसूचना

08 अक्टूबर, 2012 ई0

संख्या 810/IX/176/2007–12–श्री राज्यपाल महोदय, एतद्द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 21, वर्ष 2000) की धारा 90 की उपधारा (1) तथा (2) के खण्ड (क) सपठित धारा 6 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) नियमावली, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2012

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2012 है।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

2. नियम 5 के खण्ड (ङ) का संशोधन–उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) नियमावली, 2011 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नियम 5 के खण्ड (ङ) के स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया निम्न नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ङ) राज्य स्तरीय प्रबन्ध समिति द्वारा जिला स्तरीय प्रबन्ध समिति से इस प्रकार प्राप्त बैंक ड्रॉफ्ट एवं परिवहन आयुक्त कार्यालय में प्राप्त यूजर चार्ज को भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा, देहरादून में परिवहन आयुक्त द्वारा अधिकृत अपर परिवहन आयुक्त द्वारा इस निमित खोले गए बचत बैंक खाते में जमा किया जायेगा।	(ङ) राज्य स्तरीय प्रबन्ध समिति द्वारा जिला स्तरीय प्रबन्ध समिति से यूजर चार्ज के रूप में प्राप्त बैंक ड्रॉफ्ट एवं परिवहन आयुक्त कार्यालय में प्राप्त यूजर चार्ज को देहरादून स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में इस निमित खोले गए बचत बैंक खाते में जमा किया जायेगा : परन्तु यह कि यदि किसी संभाग/उप संभाग अथवा चैकपोस्ट पर सम्बन्धित बैंक की सीबीएस शाखा उपलब्ध है, तो उस क्षेत्र का अधिकारी बैंक ड्रॉफ्ट के स्थान पर सीधे खाते में धनराशि जमा करायेगा और उसकी सूचना मासिक/क्रमिक रूप से परिवहन आयुक्त/अध्यक्ष को प्रेषित करेगा। खाते में अर्जित ब्याज, यूजर चार्ज का भाग माना जायेगा और उक्तानुसार सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग नियम 5, 7 एवं 9 में उल्लिखित कार्यों के प्रयोजनार्थ किया जायेगा।

3. नियम 6 का संशोधन–मूल नियमावली के नियम 6 के स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया निम्न नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
यूजर चार्ज की प्राप्ति रसीद राज्य स्तरीय प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप पर दी जायेगी तथा उसकी प्रविष्टि प्रतिदिन केवल इस निमित्त रखी गयी रोकड़ बही में की जायेगी तथा राज्य स्तरीय समिति को भेजे गए बैंक	यूजर चार्ज की प्राप्ति रसीद, राज्य स्तरीय प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप पर दी जायेगी तथा उसकी प्रविष्टि प्रतिदिन केवल इस निमित्त रखी गयी रोकड़ बही में की जायेगी। जिला स्तरीय प्रबन्ध समिति द्वारा राज्य स्तरीय

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
ड्राफ्ट्स का अभिलेख रखा जायेगा, जिसका सत्यापन सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष या उसके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त यूजर चार्ज से सम्बन्धित (क) बैंक पासबुक, (ख) चैकबुक रजिस्टर, (ग) ट्रेजरी चालान रजिस्टर, (घ) धनराशि के उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख रखे जायेंगे।	समिति द्वारा राज्य स्तरीय समिति को भेजे गए बैंक ड्राफ्ट्स अथवा खाते में नकद जमा करायी गई धनराशि के अभिलेख भी रखे जाएंगे, जिसका सत्यापन सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष या उसके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त यूजर चार्ज से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख भी रखे जायेंगेः– (क) बैंक पासबुक, (ख) चैकबुक रजिस्टर, (ग) राज्य स्तरीय समिति/जिला स्तरीय समितियों की बैठकों का विवरण एवं सम्बन्धित अभिलेख, (घ) स्वीकृत एवं व्यय की गई धनराशि से सम्बन्धित अभिलेख, (ङ) दैनिक रोकड़ बही, (च) ऑडिट आदि सम्बन्धित अभिलेख, (छ) अन्य अभिलेख जैसा कि राज्य स्तरीय प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित किया जाए।

4. नियम 7 का संशोधन–मूल नियमावली के नियम 7 में स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान उपनियम (1) के खण्ड (एक) (दो) एवं (तीन) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्ः–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
7. (1) (एक) कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं सहायक उपकरणों की मरम्मत की व्यवस्था एवं अनुरक्षण।	7. (1) (एक) कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं सहायक उपकरणों का क्रय एवं मरम्मत की व्यवस्था एवं अनुरक्षण।
(दो) जनरेटर के पी0ओ0एल0 और आकस्मिक स्थिति में मरम्मत की व्यवस्था।	(दो) जनरेटर का क्रय, मरम्मत एवं जनरेटर हेतु पी0ओ0एल0 की व्यवस्था।
(तीन) सर्वर रूप में स्थापित ए0सी0 की मरम्मत की व्यवस्था।	(तीन) सर्वर रूम हेतु ए0सी0 का क्रय एवं मरम्मत की व्यवस्था।

(2) खण्ड (दस) को निरसित करते हुए निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिए जायेंगे, अर्थात्ः–

(दस) कम्प्यूटर एवं अभिलेखों की सुरक्षा हेतु अग्निशमन यंत्रों का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण।

(ग्यारह) कार्यालयों, प्रवर्तन दलों एवं जाँच चौकियों हेतु कम्प्यूटर लैपटॉप, इन्टरनेट का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण।

(बारह) विद्युत की निर्बाध आपूर्ति हेतु यूपीएस एवं बैट्री का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण।

(तेरह) कम्प्यूटरों के माध्यम से कार्य संचालन हेतु सिस्टम सॉफ्टवेयर, विशिष्ट सॉफ्टवेयर, फायरबॉल, एन्टीवायरस आदि सॉफ्टवेयर का क्रय एवं अनुरक्षण।

(चौदह) कार्मिकों की उपस्थिति कम्प्यूटरीकृत रूप मे दर्ज करने के उद्देश्य से बायोमेट्रिक एटेन्डेंस सिस्टम का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण।

(पन्द्रह) कार्यालय में आने वाले आवेदकों को सड़क सुरक्षा सम्बन्धी नियमों की जानकारी हेतु एलसीडी/प्रोजेक्टर एवं सहायक उपकरणों का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण।

(सोलह) कार्यालय की सुरक्षा के दृष्टिगत कार्यालयों एवं जांच चौकियों में सीसीटीवी सम्बन्धी उपकरणों का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण।

(सत्रह) कम्प्यूटरों को नेटवर्क के माध्यम से जोड़े जाने हेतु नेटवर्किंग एवं उससे सम्बन्धित उपकरणों का क्रय, मरम्मत एवं अनुरक्षण।

(अठ्ठारह) कम्प्यूटर संचालन हेतु कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना।

(उन्नीस) सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी अन्य समस्त कार्य।

(3) उपनियम (2) के स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
7. (2) राज्य स्तरीय समिति प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लेगी जो अन्तिम होगा।	7. (2) राज्य स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समितियों से प्राप्त प्रस्तावों एवं राज्य स्तरीय कार्यालय (परिवहन आयुक्त कार्यालय) हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर विचारोपरान्त निर्णय लेगी जो अन्तिम होगा।

5. नियम 8 का संशोधन–मूल नियमावली के नियम 8 के स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
राज्य स्तरीय समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि की सीमा के अन्तर्गत संभागीय परिवहन अधिकारी को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों के अध्यधीन किसी एक समय में 1.00 लाख एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (कार्यालयाध्यक्ष, उप संभागीय परिवहन कार्यालय) को किसी एक बार 50 हजार की सीमा तक कम्प्यूटर के उपयोग हेतु सामग्री क्रय करने का अधिकार होगा। उससे अधिक की खरीद पर राज्य स्तरीय समिति का अनुमोदन आवश्यक होगा।	(1) राज्य स्तरीय समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि जिला स्तरीय समिति द्वारा इस निमित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये खाते में रखी जाएगी। इस खाते में अर्जित ब्याज भी यूजर चार्ज का भाग माना जायेगा। (2) इस खाते में उपलब्ध धनराशि की सीमा के अन्तर्गत संभागीय परिवहन अधिकारी को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों के अध्यधीन किसी एक समय में 1.00 लाख एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (कार्यालयाध्यक्ष, उप संभागीय परिवहन कार्यालय) को किसी एक समय 50 हजार की सीमा तक नियम 7 में वर्णित कार्यों के लिए सामग्री क्रय करने का अधिकार होगा। उससे अधिक की खरीद पर राज्य स्तरीय समिति का अनुमोदन आवश्यक होगा : परन्तु यह कि यदि राज्य स्तरीय समिति द्वारा किसी जिला स्तरीय समिति के वार्षिक प्रस्ताव का अनुमोदन किया जा चुका है तो धनराशि व्यय करते समय उपरोक्त पुनर्अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी : परन्तु यह और कि जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रति वर्ष स्वीकृत एवं व्यय की गई धनराशि के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण राज्य स्तरीय समिति की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

6. नियम 10 का संशोधन–मूल नियमावली के नियम 10 के स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) किसी भी दशा में यूजर चार्ज से प्राप्त धनराशि से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा।	(2) राज्य स्तरीय प्रबन्ध समिति एवं जिला स्तरीय प्रबन्ध समितियों द्वारा किसी भी दशा में यूजर चार्ज के रूप में प्राप्त धनराशि तथा खाते में अर्जित ब्याज से अधिक धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article, 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **no. 810/IX-1/176/2007-12**, dated October 08, 2012 for general information :

NOTIFICATION

October 08, 2012

No. 810/IX-1/176/2007-12--In exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub-section (1) and (2) of section 90 read with sub-section (1) and (2) of Section 6 of the Information Technology Act, 2000 (Act No. 21 of 2000), the Governor is please to amend The Uttarakhand Information Technology (User Charges for Filing, Creation and Issue of Electronic Records in Transport Department) Rules, 2011 and make the following rules :--

The Uttarakhand Information Technology (User Charges for Filing, Creation and Issue of Electronic Records in Transport Department) (First Amendment) Rules, 2012

1. Short title and commencement--(1) These rules may be called the Uttarakhand Information Technology (User Charges for Filing, Creation and Issue of Electronic Records in Transport Department) (First Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of Clause (e) of Rule 5--For clause (e) of rule 5 of the Uttarakhand Information Technology (User Charges for Filing, Creation and Issue of Electronic Records in Transport Department) Rules, 2011 (herein-after referred to as the Principal Rules) set out in column 1 below, the rule as set out in column 2, shall be substituted namely--

Column 1 *Existing Rule*	Column 2 *Rule as hereby substituted*
(e) the bank drafts received by the State Level Management Committee and the user charges collected at the Transport Commissioner Office shall be deposited in the Savings Bank Account opened in the main Branch of State Bank of India at Dehradun by the Additional Transport Commissioner authorized by the Transport Commissioner in this behalf;	(e) the bank drafts received by the State Level Management Committee and the user charges collected at the Transport Commissioner Office shall be deposited in the Savings Bank Account opened in any Nationalized Bank at Dehradun : Provided that where the facility of CBS Branch of said Bank is available, the money received as user charge

Column 1 *Existing Rule*	Column 2 *Rule as hereby substituted*
	may be deposited directly to the bank account in place of bank draft by the concerned officer and the information in this regard shall be sent to Transport Commissioner/ Chairmen on monthly/progressive basis, The amount received as the interest, will be assumed as a part of user charge and all the amount will be utilized for the purpose specified in Rule 5, 7 and 9.

3. Amendment of Rule 6--For rule 6 of the Principal Rules, set out in column 1 below, the rule as set out in column 2, shall be substituted namely--

Column 1 *Existing Rule*	Column 2 *Rule as hereby substituted*
6. The State Level Management Committee shall issue acknowledgement receipt of user charges in the specified form and shall enter it in the cashbook kept for the purpose. All bank draft sent to the State Level Committee shall be recorded and verified by the concerned officer incharge of the office or by an officer nominated by him. In addition to it the State Level Committee shall keep the following records of the user charge :-- (A) Bank Pass Book, (B) Cheque Book Register, (C) Treasury Challan Register and (D) Records of the amount utilized.	6. The acknowledgement receipt of user charge shall be issued in the form specified by the State Level Management Committee and shall enter it in the cashbook kept for the purpose. All bank draft sent to the State Level Committee or the documents of the cash deposited in the account shall be recorded by district level management committee and shall be verified by the concerned officer incharge of the office or by an officer nominated by him. In addition to it the State/District Level Committee shall keep the following records of the user charge :-- (A) Bank Pass Book, (B) Cheque Book Register, (C) Records of meetings or State Level/District Level Management Committees, (D) Records of the amount sanctioned and utilized, (E) Daily cash book, (F) Records related to Audit, (G) Other records as may be specified by state level management committee.

4. Amendment of Rule 7--In rule 7--

(1) For Clause (a) (b) and (c) of sub rule (1) of rule 7 of the Principal Rules, set out in column 1 below, the rule as set out in column 2, shall be substituted namely--

Column 1 *Existing Rule*	Column 2 *Rule as hereby substituted*
7(1). (a) Repair and maintenance of the computer, printer and accessory apparatus;	7(1). (a) Purchase, Repair and maintenance of the computer, printer and accessory apparatus;
(b) casual reapir of the generator and fuel for it;	(b) Purchase, Repair and maintenance of the generator and fuel for it.
(c) repair of the air conditioner installed in the server room.	(c) Purchase, Repair and maintenance of the air conditioner for server room.

(2) After cancelling clause (j) of sub rule (l) following clauses shall be inserted, namely:--

(j) Purchase, Repair and maintenance of Fire extinguishers for the security of computers, hardware and records;

(k) Purchase, Repair and maintenance of computer, laptop, internet for offices, enforcement squad and transport check posts;

(l) Purchase, Repair and maintenance of UPS and Battery for uninterrupted supply of electricity;

(m) Purchase, Repair and maintenance of system software, specific software, operational software, firewall, antivirus etc. for smooth operation of computers;

(n) Purchase, Repair and maintenance of biometric attendance system for record of attendance of employees in computerized manner;

(o) Purchase, Repair and maintenance of LCD/Projector and peripherals for demonstration of Road Safety rules to the applicants;

(p) Purchase, Repair and maintenance of CCTV for the security of offices and check posts;

(q) Purchase, Repair and maintenance of Networking items to establish link between the computers;

(r) To provide computer training to the employees of the department;

(s) All other works related to information technology.

(3) For sub rule (2) of Rule 7 of the Principal Rules, set out in column 1 below, the rule as set out in column 2, shall be substituted namely:--

Column 1 *Existing Rule*	Column 2 *Rule as hereby substituted*
7(2) The State level committee shall consider the proposal and take decision, which shall be final.	7(2). The State level committee shall consider the proposal received from District level committee as well as state level office (Transport Commissioner office) and take decision, which shall be final.

5. Amendment of Rule 8--For rule 8 of the Principal Rules, set out in column 1 below, the rule as set out in column 2, shall be substituted namely:--

Column 1 *Existing Rule*	Column 2 *Rule as hereby substituted*
8. Within the limits of amount provided by the State Level Committee, the Regional Transport Officer may have the power to purchase the material for user of computer up to the limit of Rs. one lakh and the Assistant	8 (1) District Level Management Committee shall deposit the funds, received from State Level Management Committee, in Savings Bank Account opened in any Nationalized Bank for the purpose.

Column 1 *Existing Rule*	Column 2 *Rule as hereby substituted*
Regional Transport Officer, In charge of the sub Regional Transport Office, up to the limit of Rs. fifty thousand at a time, subject to the provisions of The Uttarakhand Procurement Rules, 2008. If the purchase exceeds the above limit the permissions of the State Level Committee shall be obligatory.	(2) Within the limits of amount provided in the above account, the Regional Transport Officer may have the power up to the limit of Rs. one lakh and the Assistant Regional Transport Officer, In charge of the sub Regional Transport Office, up to the limit of Rs. fifty thousand at a time, to purchase the material specified in Rule 7, subject to the provisions of The Uttarakhand Procurement Rules, 2008. If the purchase exceeds the above limit the permissions of the State Level Committee shall be obligatory : Provided that, if the District Level Management Committee has obtained the approval of State Level Management Committee on yearly proposal. The re-approval shall not required at the time of utilization of funds : Provided also that the detail of sanctioned and utilization of funds shall be produced by District Level Management Committee in the annual general body meeting of State Level Management Committee.

6. Amendment of Rule 10--For sub rule (2) of Rule 10 of the Principal Rules, set out in column 1 below, the rule as set out in column 2, shall be substituted namely--

Column 1 *Existing Rule*	Column 2 *Rule as hereby substituted*
(2) Expenditures from user charges shall not exceed the amount collected.	(2) Expenditures by the State Level Management Committee and District Level Management Committee shall not exceed the amount collected as user charge and interest received in the said account.

अधिसूचना

08 अक्टूबर, 2012 ई0

संख्या 811/ix-1/323–06/2012–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तरांचल अधिनियम संख्या 12, वर्ष 2003) की धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार नियमावली, 2003 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. नियम 9 का संशोधन–उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार नियमावली, 2003 के नियम 9 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
9. कर के भुगतान की रीति–(1) कर या अतिरिक्त कर का भुगतान या तो कराधान अधिकारी को नकद किसी कोषागार में ट्रेजरी चालान के माध्यम से "0041–वाहन कर–102 राज्य मोटरयान कराधान अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां–01 सकल प्राप्तियां" शीर्षक के अधीन मोटरयान स्वामी या संचालक द्वारा जमा किया जायेगा और ऐसे भुगतान को प्रकट करने वाले यथास्थिति रसीद या ट्रेजरी चालान कराधान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।	9. कर के भुगतान की रीति–(1) कर या अतिरिक्त कर का भुगतान या तो कराधान अधिकारी को नकद किया जायेगा या सम्बन्धित जिले के किसी कोषागार में ट्रेजरी चालान के माध्यम से "0041–वाहन कर–102 राज्य मोटरयान कराधान अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां–01 सकल प्राप्तियां" शीर्षक के अधीन मोटरयान स्वामी या संचालक द्वारा जमा किया जायेगा और ऐसे भुगतान को प्रकट करने वाले यथास्थिति रसीद या ट्रेजरी चालान कराधान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा : परन्तु यह कि इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर या अतिरिक्त कर या अन्य शुल्क का भुगतान राज्य सरकार द्वारा अधिकृत बैंकों में ई–पेमेन्ट के माध्यम से नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑन लाईन भी किया जा सकता है।
(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिससे अधिनियम 7 के अधीन घोषणा या नियम 8 के अधीन अतिरिक्त घोषणा करने की अपेक्षा की जाती है, मोटरयान पर देय कर अथवा अतिरिक्त कर का उसके सम्बन्ध में घोषणा प्रस्तुत करते समय भुगतान करेगा।	(2) ऑन लाईन कर या अतिरिक्त कर या अन्य शुल्क के भुगतान हेतु प्रक्रिया का निर्धारण निदेशक, कोषागार, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, भारतीय रिजर्व बैंक, सम्बन्धित अधिकृत बैंक से विचार विमर्श के उपरान्त परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा किया जायेगा। (3) राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से कोई ऐसी तिथि निर्धारित कर सकती है, जिसके पश्चात् राज्य में पंजीकृत अथवा राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों से कर या अतिरिक्त कर या अन्य शुल्क का भुगतान केवल ई–पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा। (4) प्रत्येक व्यक्ति, जिससे अधिनियम 7 के अधीन घोषणा या नियम 8 के अधीन अतिरिक्त घोषणा करने की अपेक्षा की जाती है, मोटरयान पर देय कर अथवा अतिरिक्त कर का उसके सम्बन्ध में घोषणा प्रस्तुत करते समय भुगतान करेगा।

आज्ञा से,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article, 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **no. 811/ix-1/323-06/2012**, dated October 08, 2012 for general information :

NOTIFICATION

October 08, 2012

No. 811/ix-1/323-06/2012--In exercise of the powers conferred by Clause (e) of sub-section (2) of section 28 of Uttarakhand Motor Vehicle Taxation Reforms Act, 2003 (Uttarakhand Act no. 12 of 2003), the Governor is please to amend The Uttarakhand Motor Vehicle Taxation Reforms Rules, 2003 and make the following rules :--

(The Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms (Second Amendment) Rules, 2012

1. Short title and commencement--(1) These rules may be called the Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms (Second Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force at once.

2. Amendment of Rule 9--For rule 9 of the Uttaranchal Motor Vehicles Taxation Reforms Rules, 2003 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2, shall be substituted namely :--

Column 1 *Existing Rule*	Column 2 *Rule as hereby substituted*
9. **Method of payment of tax (1)--**The tax or the additional tax may either be paid in cash to the Taxation Officer or deposited in any treasury of the concerned district through treasury challan under the head "0041-vehicle tax-102 receipts under the State Motor Vehicles Taxation Acts 01-Gross" by the owner or operator of the motor vehicle and the receipt or the treasury challan, as the case may be, evidencing such payment shall be furnished to the Taxation Officer.	9. **Method of payment of tax (1)--**The tax or the additional tax may either be paid in cash to the Taxation Officer or deposited in any treasury of the concerned district through treasury challan under the head "0041-vehicle tax-102 receipts under the State Motor Vehicles Taxation Acts 01-Gross" by the owner or operator of the motor vehicle and the receipt or the treasury challan, as the case may be, evidencing such payment shall be furnished to the Taxation Officer : Provided that the tax or the additional tax or the other fees payable under this act may be paid online through e-payment either by net banking or dabit card or credit card through the banks authorized by the State Government for this purpose.
(2) Every person who is required to make a declaration under rule 7 or additional declaration under rule 8 shall pay the tax or additional tax due on the motor vehicle at the time of presenting the declaration in respect thereof.	(2) The procedure for online payment of the tax or the additional tax or the other fees shall be laid down by the Transport Commissioner in consultation with the Director Treasury, National Informatices Center (NIC), Reserve Bank of India and the concerned authorized bank. (3) The State Government may by notification appoint any such date on or after which the tax or the additional tax or the other fees shall be paid only by e-payment. In respect of the vehicles registered in the state or the vehicles coming from outside the state. (4) Every person who is required to make a declaration under rule 7 or additional declaration under rule 8 shall pay the tax or additional tax due on the motor vehicle at the time of presenting the declaration in respect thereof.

By Order,

DR. UMAKANT PANWAR,

Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 42 हिन्दी गजट/691—भाग 1—2012 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 अक्टूबर, 2012 ई0 (आश्विन 28, 1934 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

निदेशालय, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

विज्ञप्ति

21 अगस्त, 2012 ई0

पत्रांक 13545–69/डीटीईयू/0711/सेवा0/अधि0 क्षेत्र/12–सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन) अधिनियम, 1959, नियमावली, 1960 नियम 7 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त नियम व धारा के अन्तर्गत पूर्व में प्रसारित समस्त विज्ञप्तियों को निरस्त करते हुए मैं, पी0एस0 कुटियाल, निदेशक (सेवायोजन), प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सम्मुख उल्लिखित अधिक्षेत्र के सेवायोजकों के सम्बन्ध में सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन) अधिनियम, 1959 (संख्या 31, 1959) की धारा 6 में अभिदिष्ट अधिकारों के प्रयोग करने का प्राधिकार एतद्द्वारा प्रदान करता हूं:–

क्रमांक	अधिकारी का पदनाम	अधिक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड
1	2	3
1.	उप निदेशक (सेवायोजन), उत्तराखण्ड	सम्पूर्ण उत्तराखण्ड
2.	सहायक निदेशक (सेवायोजन), प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)	तदैव
3.	क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, देहरादून	जनपद देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार क्षेत्र
4.	क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, लैंसडोन	जनपद पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग क्षेत्र
5.	क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, अल्मोड़ा नैनीताल, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र	अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र
6.	जिला सेवायोजन अधिकारी, नैनीताल	सम्पूर्ण जनपद नैनीताल
7.	जिला सेवायोजन अधिकारी, पिथौरागढ़	सम्पूर्ण जनपद पिथौरागढ़
8.	जिला सेवायोजन अधिकारी, चम्पावत	सम्पूर्ण जनपद चम्पावत

1	2	3
9.	जिला सेवायोजन अधिकारी, ऊधमसिंह नगर	सम्पूर्ण जनपद ऊधमसिंह नगर
10.	जिला सेवायोजन अधिकारी, बागेश्वर	सम्पूर्ण जनपद बागेश्वर
11.	जिला सेवायोजन अधिकारी, टिहरी	सम्पूर्ण जनपद टिहरी
12.	जिला सेवायोजन अधिकारी, उत्तरकाशी	सम्पूर्ण जनपद उत्तरकाशी
13.	जिला सेवायोजन अधिकारी, हरिद्वार	सम्पूर्ण जनपद हरिद्वार
14.	जिला सेवायोजन अधिकारी, चमोली	सम्पूर्ण जनपद चमोली
15.	जिला सेवायोजन अधिकारी, रुद्रप्रयाग	सम्पूर्ण जनपद रुद्रप्रयाग
16.	सहायक प्रवर्तन अधिकारी, देहरादून	सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य
17.	नगर सेवायोजन अधिकारी, पौड़ी	तहसील क्षेत्र पौड़ी
18.	नगर सेवायोजन अधिकारी, रानीखेत	तहसील क्षेत्र रानीखेत
19.	नगर सेवायोजन अधिकारी, काशीपुर	तहसील क्षेत्र काशीपुर
20.	नगर सेवायोजन अधिकारी, हल्द्वानी	तहसील क्षेत्र हल्द्वानी
21.	नगर सेवायोजन अधिकारी, रामनगर	तहसील क्षेत्र रामनगर
22.	सहायक सेवायोजन अधिकारी, विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय (जनजाति), कालसी	सम्पूर्ण चकरौता तहसील क्षेत्र
23.	सहायक सेवायोजन अधिकारी, विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय (विकलांग), देहरादून	देहरादून जनपद क्षेत्र

पी0एस0 कुटियाल,
निदेशक।

कार्यालय, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(फार्म अनुभाग)
विज्ञप्ति

30 अगस्त, 2012 ई0

पत्रांक 2383/आयु0कर, उत्तरा0/फार्म–अनु0/2012–13/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30 (12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–XVi) एवं प्ररूप–11, जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करती हूँ:–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज व क्रमांक
1	2	3	4
1.	सर्वश्री कास्टलाईट इण्टस्ट्रीज, प्लॉट नं0–4, सैक्टर–4, पंतनगर	प्ररूप–XVI (01)	U.K.VAT-M2012/ 0192706
2.	सर्वश्री आर0के0 इण्डस्ट्रीज इस्टेट, बाजपुर रोड, काशीपुर	प्ररूप–XVI (01)	U.K.VAT-K2010/ 0137950
3.	सर्वश्री सिडमेक लैब्रोटिज, इण्डिया प्रा0 लि0, सेलाकुई	प्ररूप–XVI (01)	U.K.VAT-K2010/ 1868427

कुमकुम गुप्ता,
अपर आयुक्त, वाणिज्य कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विज्ञप्ति

04 सितम्बर, 2012 ई0

पत्रांक 2445/आयु0क0उत्तरा0/फार्म–अनु0/2012–13/केन्द्रीय फार्म–सी/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तराखण्ड) नियमावली, 2006 के नियम 8 के उपनियम 13 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित "फार्म–सी" जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फार्म्स के प्रयोग को अवैध घोषित करती हूं:–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज/क्रमांक
1.	सर्वश्री जिन्दल स्क्रैप ट्रेडर्स, 138, जसपुर रोड, काशीपुर	(Form-C)--01	U.K. VAT/C-2007-847437

विज्ञप्ति

11 सितम्बर, 2012 ई0

पत्रांक 2544/आयु0कर, उत्तरा0/फार्म–अनु0/2012–13/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30 (12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–XVi) जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करती हूँ:–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज व क्रमांक
1	2	3	4
1.	सर्वश्री फैशन शापी, नेताजी सुभाष मार्ग, रुद्रपुर	प्ररूप–XVI (05)	U.K.VAT-M2012/ 0185467 to 0185471
2.	सर्वश्री ओम फैशन्स, जसपुर खुर्द, काशीपुर	प्ररूप–XVI (01)	U.K.VAT-K2010/ 0002077
3.	सर्वश्री आर0वी0 आकाश गंगा इन्फ्रस्ट्रक्चर लि0, 1381/बी0–38, सि0ला0 जादूगर रोड, रुड़की	प्ररूप–XVI (02)	U.K.VAT-K2010/ 0848883, 0848884
4.	सर्वश्री अमृतवर्षा उद्योग लि0, जशोधरपुर, कोटद्वार	प्ररूप–XVI (09)	U.K.VAT-K2010/ 0872369, 0872371, 0875334, 1120310, 1120324, 1120361, 1120403, 1120432, 1120433

सौजन्या,
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 42 हिन्दी गजट/691–भाग 1–क–2012 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।